THE MARRIED WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 1994 —*Contd.*

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी 9 दिसंबर, 1994 को विवाहित स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1994 जिसे श्रीमती वीणा वर्मा जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था मैंने अपने विचारों को विस्तार से रखा था लेकिन कुछ सुझाव या संशोधन जो मैं देना चाहता था वे पूरे नहीं हो सके थे। मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्रीमती वीणा वर्मा जी ने इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करके और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके बहुत अच्छा काम किया है। परन्तु श्रीमती वीणा वर्मा जी संभवतः इस विधेयक को वापस ले लेंगी। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए इससे सरकार का ध्यान विवाहित महिलाओं की समस्याओं की ओर गया है और मैं चाहूंगा कि सरकार निकट भविष्य में इसे प्राथमिकता दे करके इस तरह का कोई विधेयक सदन में ले आए ताकि आज समाज में महिलाओं की जो उपेक्षा है और विशेषकर विवाहित महिलाओं की जो उपेक्षा है, वह भविष्य में न रहे। उपसभाध्यक्ष जी, जब भी किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने परिवार में जाती है अपने पति के साथ जाती है तो उस परिवार में उसका संपत्ति में कोई अधिकार न रहने के कारण जितना अधिकार उसका होना चाहिए, जितना सम्मान उस परिवार में होना चाहिए, वह उसे नहीं मिलता है। इसके लिए मैं सरकार को दो सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले तो सरकार को भूमि-सुधार इस देश के अंदर लागू करना चाहिए क्योंकि मान्यवर अगर इस तरह का कानून बना भी दिया जाता है तो इस देश में लगभग 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास कि स्वयं की कोई संपत्ति ही नहीं है या मामूली सी संपत्ति है। उनके पास एक एकड़ जमीन है, डेढ़ एकड़ है, दो एकड़ है या कुछ मकान है, झोंपड़ा है—तो उस विवाहित महिला को भी उसमें अधिकार देने से भी क्या होगा। इसलिए इस देश की सबसे विकट और गंभीर समस्या यह है कि भूमि-सुधारों को लागू नहीं किया गया है। आज इस देश में बड़े-बड़े भू-पति हैं जिनके पास कि हजारों हजार एकड़ भूमि है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कि बिलकुल भूमि नहीं है, नगण्य भूमि है या एक एकड़, दो एकड़ भूमि है। उपसभाध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदारी उन्मूलन कर के यह प्रयास किया था और 1 जुलाई, 1992 को जब उन्होंने जमींदारी एबोलीशन एक्ट को लागू किया था तो काफी हद तक इस देश में भूमि सुधार लागू हुआ था लेकिन जमींदारी एबोलीशन एक्ट में भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला—न बेटी को अधिकार मिला और न पत्नी को अधिकार मिला। अधिकार देने की बात भी उस कानून में तब है जबकि पिता मर जाए और कोई लड़का न हो तो बेटी को हक मिल सकता है और यहां जब पति मर जाये तो पत्नी को जमीन में अधिकार मिल सकता है। मैं चाहता हूं और सरकार को यह प्राथमिकता के आधार पर करना भी चाहिए देश की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। फिर इसमें महिलाओं का भी कल्याण हो जाएगा। उपसभाध्यक्ष जी, आज देश के अन्य जो प्रदेश हैं, वहां पर भूमि-सुधार लागू नहीं हुआ है। तो सरकार को पहले भूमि-सुधार कानून लागू करना पड़ेगा और तभी महिलाएं जब वे अपने परिवार में जाएंगी, अपने पति के घर जाएंगी, तो वह कुछ संपत्ति की हकदार हो जाएंगी, मालिक हो जाएंगी। दूसरे मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार इस तरह का कोई विधेयक लाती है तो इस विधेयक को छानबीन कर के सावधानी से बनाना पड़ेगा क्योंकि कानून में तलाक या डायवोर्स का भी प्रोविजन है। चाहे वह टेनेंसी लॉ हो, चाहे हिन्दू लॉ हो या चाहे जो भी कानून हो डायवोर्स का प्रोवीजन है और मान्यवर डायवोर्स दोनों तरफ से हो जाता है, तलाक दोनों तरफ से हो जाता है। अदालत के फैसले से तलाक होता है और कुछ जुबानी भी हो जाया करते हैं। इसलिए कानून इस तरह का बनना चाहिए कि कहीं पत्नी संपत्ति लेने के लिए ही न किसी बड़े परिवार में चली जाय। वह वहां डायवोर्स करके चली गयी और उस संपत्ति की मालकिन बन गयी तो उस कानून में थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा, प्रोविजो बनाना पड़ेगा और इस तरह का प्रावधान करना होगा कि अगर पत्नी की स्वेच्छा से या पत्नी की ओर से डायवोर्स होता है और अगर इस परिवार में

जाने के बाद उस महिला को पति की संपत्ति में अधिकार मिला है तो ज्योंही डायवोर्स होगा तुरंत उसका वह अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह की भी कानून में व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान्यवर, आज इस देश में महिलाओं की जो घोर उपेक्षा है, इसका मुख्य कारण यही है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसलिए आज महिला को पुरुष के समान अधिकार देने की आवश्यकता है क्योंकि महिला को कितने से दिनों से, अनादि काल से पुरुष के समान अधिकार नहीं दिया गया। महिला को हमेशा कमजोर समझा गया, उपेक्षित समझा गया, दासी समझा गया, नौकरानी समझा गया। आज भले ही अच्छे परिवारों में, सभ्य परिवारों में या बढ़े हुए परिवारों में या संपन्न परिवारों में महिला का सम्मान हो, मगर संपत्ति में उसका अधिकार नहीं है। जब तक उसे संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, तब तक महिला का इस देश में न सम्मान बढ़ेगा, न स्वाभिमान बढ़ेगा और न उसका अधिकार बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, मैंने पिछली बार ही अपनी सारी बात कही थी और अब केवल इन्हीं दो सुझावों के साथ मैं वीणा वर्मा जी के इस विधेयक का स्वागत भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं। मैं वीणा वर्मा जी से यह कहूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लेने की कृपा न करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। अगर किसी तरह से वीणा वर्मा जी इसे वापस ही ले लेती है तो हमारे कानून मंत्री जी, जो बड़े विधिवेत्ता भी हैं और जो देश की महिलाओं की समस्याओं को भी समझते हैं, उनके हृदय में भी दर्द है, मैं उनसे चाहूंगा कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस तरह का कोई विधेयक संसद के अंदर लाएं और इस देश के अंदर कोई ऐसा कानून बनाएं, जिससे महिला को पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाए और संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष जी, वीणा वर्मा जी ने जो यहां विधेयक विवाहित नारी के अधिकार के बारे में रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामाजिक जीवन में नारी के अनेक रूप हैं। पिता के घर में वह पुत्री होती है, बहन होती है और शादी होने के बाद वह पत्नी हो जाती है, बहू हो जाती है, भाभी हो जाती है और इस तरह उसके पद में परिवर्तन हो जाता है। शादी हो जाने के बाद वह अपने पति के घर रहती है और उसके वंश को चलाने के लिए संतान पैदा करती है। उसकी पैदा की हुई संतान को तो अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसको खुद को अधिकार नहीं मिलता। वह अधिकार से वंचित रहती है, चाहे अपने पिता के घर में हो या फिर अपनी ससुराल में हो। सारा कष्ट सारा परिश्रम करने के पश्चात् भी, ससुराल का सारा घर चलाने के पश्चात् भी वह अपने अधिकार से वंचित रहती है। यह एक बड़ी विडंबना सी है।

महोदय, हमारे समाज में पुरातन काल से हम अपनी महिलाओं से केवल त्याग, तपस्या और कड़े परिश्रम की अपेक्षा करते आए हैं अगर पत्नी का आचरण ठीक है तो सही है और अगर उसमें जरा भी दोष आ जाता है तो उसके प्रति अत्याचार होने लगते हैं। एक महिला की सबसे बड़ी चीज जो है वह उसकी अस्मत है। अगर उसकी अस्मत पर जरा भी आंच आती है तो वह समाज से च्युत हो जाती है, समाज में उपेक्षा की शिकार हो जाती है, पति के यहां उसको स्थान नहीं मिलता, पिता के यहां उसको स्थान नहीं मिलता। वह समाज से बहिष्कृत हो जाती है।

पुरुष के साथ यह बात नहीं है। वह चाहे कितना ही कलंकित जीवन व्यतीत क्यों न करे, वह एक अधिकृत व्यक्ति है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। पत्नी के सती होने का तो प्रावधान है लेकिन पत्नी के मरने के बाद पति के सती होने का प्रावधान कहीं, किसी समाज में नहीं है। सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, राम को नहीं। एक मामूली आदमी की शिकायत पर सीता को वनवास जाना पड़ा था और परशुराम को अपने पिता के कहने पर अपनी माता की हत्या तक करनी पड़ी थी, फिर भी वह समाज में पूज्य बने रहे और आज तक, अभी तक वर्तमान समाज में भी स्त्री को सम्मान देने के काबिल हमारी मानसिकता

[श्री राम रतन राम]

बनी नहीं है। अभी हाल ही में पिछले साल शंकराचार्य जी ने वेद पढ़ने से एक महिला को वंचित किया था, यह विचार प्रकट किया था, यह उनकी मानसिकता थी और यह उनकी विकृत मानसिकता को प्रकट करता है। चाहे कोई कितना भी धार्मिक क्यों न हो, नारी के मामले में वह उसी मानसिकता का शिकार हो जाता है जो सनातन काल से चली आ रही है और उसे उसका राइट प्रदान करने के लिए हम यहां पर खड़े हुए हैं। मान्यवर, हमारे कई वक्ताओं ने तुलसीदास की चौपाई की व्याख्या की है :—

ढोल, गंवार, शूद्र और नारी
ये सब ताड़न के अधिकारी

हमेशा नारी को शूद्र के बराबर पशु के बराबर या उसके समकक्ष रखा गया है। तुलसीदास की और किसी चौपाई का इंप्लीमेंटेशन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन इस चौपाई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यदि किसी स्त्री को पीटना हो तो इस चौपाई को पढ़ लीजिए और पिटाई कीजिए। किसी शूद्र को पिटना हो तो इस चौपाई को पढ़ लीजिए और पिटाई कीजिए और ढोर के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। तो जहां तक इन दो जीवित प्राणियों की बातें हैं, इस मंत्र को पढ़ा और उनकी ठुकाई शुरू कर दी।

बाबा साहब डा० अम्बेडकर साहब ने जब संविधान की रचना की थी तो उन्होंने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से नारी को अधिकार देने की बात कही थी और उनकी बड़ी इच्छा थी कि भारतीय नारी को अधिकार दिया जाए उसके पति की ओर पिता की सम्पत्ति में। हिन्दू कोड बिल की बड़ी चर्चा हुई थी 1947-48 के जमाने में। समाज में एक विद्रोह सा खड़ा हो गया था और उन्होंने इसका नाम हिन्दू कोड बिल की जगह हिन्दू कोढ़ बिल रखा था। लेकिन जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग थे और यहां तक कि नेहरु जी ने कहा था कि यदि हिन्दू कोड बिल पास न हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब हिन्दू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ तो इतना उसका विरोध हुआ कि नेहरू जी भी डगमगा गए और हिन्दू कोड बिल पास न हो सका और डा. अम्बेडकर जी की यह इच्छा पूर्ण न हो सकी और एक कारण यह भी था जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया था। उसी समय चीन ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1948 में और वहां पर भी सामन्तशाही प्रवृतियां थीं, नारियों को दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वहां पर चीन वालों ने एक कानून बनाया और उन्होंने यह लिखा अपने कांस्टीट्यूशन में :—

"The People's . Republic of . China abolishes the feudal system which held women in bondage. Women shall enjoy equal rights with men in political, economic, cultural, educational and social spheres, and freedom of marriage for men and women shall be enforce I."

और इसको उन्होंने बड़ी सख्ती से लागू किया। नर और नारी को, पुरुष और स्त्री को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए चीन ने इस कानून को बड़े ही जोरों से लागू किया। और उसका नतीजा

3.00 P.M. यह हो गया कि चीन निरन्तर प्रगति के पथ पर चलता रहा। नेहरु जी को बड़ी चिंता हुई कि इंटरनेशनल पौलिटिकल फील्ड में उनकी छवि को धक्का लग रहा है और उनको कहा जा रहा है कि प्रोग्रेसिव होने की जो उनकी छवि थी उसमें कुछ कठिनाई हो रही थी, तो उन्होंने भी हिन्दू नारियों के लिए भारतीय स्त्रियों के लिए कानून बनाने का प्रोग्राम किया। हिन्दू कोड बिल तो पास नहीं हुआ। लेकिन उसके पार्ट को, उसको पार्ट करके उन्होंने पास किया और स्त्रियों को उनके अधिकार दिए गए। हमारे समाज में जिस रामायण में—"ढोल गंवार शूद्र पशु नारी" का जिक्र किया है वहां पर एक चौपाई और भी है।

"अनुज वधू भगिनि सुत नारी,
सुन सर कन्या यह समचारी।
इनहि को दृष्टि विलोकहिं जोई,
ताहि बधे कुछ पाप न होई।"

जो दृष्टि उन्होंने बताई है कि कितनी पावन दृष्टि है स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों की रक्षा करने के लिए समाज ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इनके ऊपर

कोई कुदृष्टि से देखेगा उसको उन्होंने हनन करने का अधिकार दिया और इसी अधिकार को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि समाज में नारी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। मां के रूप में जो वर्णन किया गया है, करुण व्यथा भी कही गई है :

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी"
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

लेकिन जहां माता की करुणा का वर्णन करने का सवाल आया है, तो इतना मर्म स्पर्शी बयान है कविता के रूप में :

"प्रभु ईशा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास
जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखें इसके पास।

परिचय पूछ रहे हो मुझसे कैसे दूं उसका,
वही जान सकता है माता का है दिल जिसका।

इस प्रकार माता की कितनी पवित्र तुलना की गई है और उसी माता को उसी परिवार में उसकी सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। तो मेरा यह विचार है कि जहां पर स्त्री का संबंध है, शादी होते ही उसके पति की सम्पत्ति में उसका अधिकार हो जाए। यदि पति के पास कोई सम्पत्ति नहीं है और उसके बाप के नाम पर है पैतृक सम्पत्ति, जिस पर उसके पुत्र का अधिकार होता है, उस सम्पत्ति में उसका भी अधिकार होना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद वह उस परिवार की सदस्य हो जाती है, वह वंश की जननी होती है, उसके द्वारा ही वंश चलता है। वंश को चलाने की जिम्मेदारी माता को भी अधिकार मिलना चाहिए। जैसे ही वह शादी होते ही घर में कदम रखती है, उसका अधिकार वहां सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे यादव जी ने कहा। ठीक है, जब कानून बनेगा तो सारी चीजें देखी जायेंगी। लेकिन सम्पत्ति की जहां बात आती है शादी होते ही उसको सम्पत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। तभी सही होगा।

मान्यवर, मैं चकराता की बात बतलाता हूं। चार साल पहले एक महिला ने मुझसे मजाक ही मजाक में कहा था कि लड़के ही बारात ले जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? लड़कियां ही विदा होती हैं, लड़के क्यों नहीं विदा होते? इसमें लड़कियों की माता को कितना दर्द होता है। हमारे यहां देहरादून में चकराता एक सब-डिविजन है। वहां मैं दो साल रहा। वहां पर लड़कियां बारात लेकर जाती हैं। जब लड़कियां बारात लेकर आती हैं तो लड़के वाले लड़की के बाप को रुपया देते हैं कि तुम हमारे लड़के से शादी कर लो। शादी होने के बाद जैसे ही लड़की गर्भवती हो जाती है तो समाज में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब वह मके आती है तो उसके समाज के लोग उसके पिता के पास एप्रोच करते हैं कि इस गर्भवती लड़की को हमारे पास भेज दो। कितना ही रुपया ले लो जितना तुमने खर्च किया है, उससे दोगुना, तीनगुना ले लो, लेकिन लड़की को हमारे पास भेज दो। लड़की चली जाती है और इस प्रकार बच्चा कहां का, गर्भवती कहां होती है, बच्चा कहां पैदा करती है और जश्न कहां मनाया जाता है। वहां पर लड़कियां जलाई नहीं जाती हैं। वहां पर लड़कियां विधवा नहीं होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह सिस्टम यहां पर लागू हो लेकिन जहां, जिस समाज में लड़कियां जलाई जाती हों, जिस समाज में विधवा का अपमान होता हो, उस समाज में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। परिवर्तन होना चाहिए, विधवा-विवाह होना चाहिए। लोग इसकी मनाही करते हैं हालांकि चल रहा है लेकिन यह होना चाहिए। चकराता में यह बात है कि वहां पर पॉलीगैमी फैली हुई है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन वहां पर लड़कियां जलाई नहीं जाती। शादी होने के वक्त पंडित जी जब आते हैं विवाह के दिन मुहूर्त के लिए तो आप उनसे यह भी तो पूछिए कि लड़की जलाने का मुहूर्त कब निकलेगा, जिससे यह मालूम पड़ जाए कि लड़की कब जलाई जाएगी? लड़की क्यों जलाई जाती है? ये सब बातें ऐसी हैं विडम्बनाएं हैं जिसमें कि लड़की को अधिकार जब तक सम्पत्ति में

[श्री राम रतन राम] (क्रमागत)

नहीं मिलेगा, उसको जलाना बंद नहीं होगा; उसको प्रताड़ना बंद नहीं होगी इसलिए वीणा वर्मा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the spirit with which the Married Women (Protection of rights) Bill, 1994 has been brought for discussion here. I appreciate the anxiety with which the hon'ble lady Member has brought this Bill.

We have been demanding for more rights and equality for women. In that direction, this Bill seeks to provide equal rights to married women. There can't be any difference of opinion as regards equality of women is concerned. With the change of time, demands for rights of several kinds increase. Even this morning we were discussing about repealing TADA. The voice of the Hon'ble Members was stern and assertive because it concerns humanrights.

During Sangam age, women had enough rights in the Tamil land. Mr. Vice-Chairman, Sir, you know well what our Sangam poetry says. Even as far back as in Sangam age, love marriage was recognised by the society. In a poem from Sangam literature ,a lover tells his beloved:

Our mothers don't know each other

Nor our fathers ever saw one another:

Even we were strangers before we met

But like rain drops that fall clown And take the colour of earth while flowing,

Our loving hearts too have united.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

But later when the society slowly began to refuse rights to women throughout the country, Tamilnadu too Veil a victim and women's rights were curtailed. Yet there have been lot of efforts to relieve women from the yoke of social injustice and slavery. As one wedded to the dravidian move ment that has been in the forefront of social reforms, I wish to say a few words about this movement. It was our late lamented leader Thanthai Periyar who launched the self-respect movement to relieve men from the clutches of superstitions and social injustice. He paid special attention for the emancipation of women for he thought that only liberated women would be able to contribute in making a healthy society. That is why Mr. E. V. Ramasamy was given the title 'Periyar' (great man) by the women folk, In a conference held at Virudhunagar. Periyar said that even while addressing women the gender difference should not be shown. At a time when women were confined to the kitchen, he said that women should be treated and called as "mends' just as men.

As great poet: of the self-respect movement Bharathidasan lamented:

Why do you treat women folk Worse than that of dust?

He was of the firm opinion that men folk cannot surge ahead as lorn as women are in fetters. Another great poet Subramanya Bharathi had said much beforce: "Let us, men and women, live with equal rights and mutual respect." In his thought, Bharathidasan was out of. step with his contemporaries. Even when family planning was not thought of, he said:

I shall make this world congenial
For lovers to live in
And shall find a way
So that they plan their family.

Since I come from such a movement I wanted to take part in this discussion.

Sir. when D.M.K. was in power in Tamil nadu, our great leader Dr. Anna, as the Chief Minister of Tamil-Nadu enacted the Self-respect. Marriage Act. D.M.K. Government also encourage inter-caste marriage and widow re-marriage. Medals and grants were given for such marriages. Even some sixty years before, as a mark of respect to women, self-respect movement's conference was presided over by a woman. I am constrained to say all this because, women in Tamil Nadu have come to possess certain rights today as a result of this movement.

There were several social reformers like Rajaram Mohan Roy and Jyothi-bai Bule on the national scene as "well. In Tamilnadu, we hud Periyar. Anna and Dr. Kalaingnar in the van-guard of social reform movement. Few years back, before the D.M,K. Government was dismissed in unjust manner, our leader Dr. Kalaingnar enacted a law providing right to property to women. Although there are laws in India giving right to property to women, a fool-proof law was enacted in Tamilnadu to give economic independence to women. I take pride in saying that our D.M.K. Government has done that.

Mr. Vice-Chairman. Sir, the mons-tor called dowry is on its prowl to this day in spite of laws passed long before to eradicate it. The anti-dowry act cames into play only after the tragedies of dowry-deaths and crualties. I would request the Hon'ble Minister to see if something could be done to prevent dowry related cruelties and deaths. Gone are the days when women were confined to the kitchen. Now women are working in several sectors. Mrs. Indira Gandhi presided over the destiny of our nation for many years. I don't want to cite more such examples. I only wish to point out the discrimination meted out to women employed in private sector. We all know that they are not treated like their counter parts in Government service. I hope the Hon'ble Minister will take necessary steps to render them justice. Even the two-month maternity leave given to women in Government service is not enough. *In* some countries three to six months maternity leave is'given. I feel that women should be given at least three month maternity leave keeping in mind ehe hardships they have to go through. Women in unorganised sectors do not get even minimum, wage. Particularly those who are engaged in drudgeries are exploited. When they grow old and become incapacitated they have no means for sustenance. So request the Hon'ble Minister to prepare a comprehensive scheme to *protec*t the interest of these unfortunate women.

It is said, that illiteracy would be eradicated in 12 years, l don't know how far we will succeed. Now we have adult education programmes all over the country. Even such literacy programmes benefit mostly men folk. Attendence of women is poor because of various social considerations- I visit such literacy mission schools and I know these facts very well. Therefore, the Government should take steps to see that more women are brought under the literacy mission programmes. Realising the importance of educating women Bharathi-dasaii said:

> Illiterate mother is like brackish land where weeds can grow not visionaries.

Even in the field of employment women have not been given adequate representation. While T say this I am reminded of one thing. For the physically handicapped", we have re-served- 1 to 2 per cent in job opportunities. But that is not complied with in practice when a physically

[SHRI J. S. RAJU]

handicapped person goes for an interview for posts reserved for the handicapped, the officials ask him Whether he can ride a bicycle or catch a thief. They are being treated this way and the vacancies are not filled. Same is the case with women. Keeping these difficulties in mind, our D.M.K. Government resolved to appoint only women as primary teachers and we did so as long as we were in power. I don't know if it continues now.

Sir, it is a pity that police stations are no more symbol of protection, particularly for women. This is the case throughout the country. But in Tamilnadu it is still worse. What happened to Padmini in Chidambaram and tribal women in Vachathi are only tips of the ice-bag. As Bharathidasan would -say:

like the temple priest who stole the idol and vanished," so is the case with policemen today. Today no woman can walk into the police station and lodge a complaint fearlessly in any part of the country. 'And it is still terrible in Tamilnadu. Mahatma Gandhi once said that only a day when a woman, wearing all her jewels, is able to walk on the streets fearlessly at nights can really be called the day of freedom. But we must admit that we are yet to see that day. Toddy it has become 'dangerous to wear even lake jewels. In Tamilnadu, each day one can see incidents of theft. It is on the increase now. Even mangalsutra of women are snatched away. When a woman opens the door to answer the call, 'her 'chain or even mangalsutra is 'Snatched away to her shock and surprise. Such is the situation today.

Sir, I will make one more point and conclude Mr. V. P. Singh implemented the Mandal Commission recom-*mendations* regarding reservation for the backward classes. While the south accepted this, the north protested. This is because, in the south in Tamilnadu in particular. There has come a general awakening due to the self-respect and social reforms movements. But the north, even the students of north, did not accept. It is regarded as taboo to say north and south. But I am only stating a statement of fact. In the south no party can come to power unless it supports reservation. But on the contrary, in the north in party can corns to power only if it oppose reservation. This signifies the difference in the level of awakening of the society Yet when we talk of the difference between the north and the south you become angry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I am not angry. I, indeed appreciate your sentiments.

SHRI J.S. RAJU: Sir. You know well wham I am referring to.. .

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman. Sir, I think you have this feeling because the Hon'ble Member has been referring to Bharathidasan of your state.

VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARA-NANASAMY): I thank Mr. Raju for that.

SHRI J. S. RAJU: I am also thankful to you for your gesture. Sir, when you are in the Chair. I feel so happy that I am tempted to speak more.

Sir, I am only impressing upon ; the point that the mind of the society hat to be changed. Enacting laws alone won't help. Rajaram Mohan Roy fought against sati all "his-'life. But today sati is in practice in several northern states like Rajasthan. 'A leader who supported -sati was; a Member of this House; he was even Minister for some time. These are the realities. A number of politicians and Ministers visit the so-called' religious gurus and bow in reverence before them. Then what to talk of social refoims. That is why 1

have . . been emphasising on reasoning and awakening as the first step towards social reforms.

The Hon'ble lady Member has brought this bill for discussion keeping in mind the larger interests of women folk. She has incorporated several points in the bill. But we know these points concern the society (at large. They can't be implemented just through Government machinery, I do appreciate the spirit behind the bill. Yet we have practical difficulties in our society. For example, even when a petition is filed for divorce, the judge gives enough time to the couple to see if they could patch up and live together once again. Again it might be difficult to ascertain the views of the wife on every matter as referred to in the Bill. As I conclude I once again welcome the spirit behind the Bill.

श्री जनेश्वर मिश्र : (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वीणा वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं यह जानते हुये कि उन्होंने जो प्रयास किया है उसका हश्र क्या होगा। लेकिन यह महान सदन इस बात को इस देश की जनता तक जरूर पहुंचायेगा। यह जो सदी अभी बीत रही है, इसमें कई लड़ाइयां एक साथ छिड़ीं थीं। उपनिवेशवाद के खिलाफ तो लड़ाइयां बहुत ज्यादा जीत ली गई, कहीं-कहीं आर्थिक गैरबराबरी के खिलाफ भी लड़ाइयां जीती गई हैं, कहीं कहीं पैदाइश की गैरबराबरी के खिलाफ या जाति वाली लड़ाइयां जिसको कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं, वह भी जीती गई हैं, कहीं कहीं तादाद की गैरबराबरी, मजहब के नाम पर कोई तादाद में कम, कोई ज्यादा, वह लड़ाई भी लड़ी जा रही है सारी दुनियां में, कहीं कहीं रंग के सवाल पर भी लड़ाइयां जीती गई हैं। 21वीं सदी इन लड़ाइयों को बहुत बारीकी से देखेगी। लेकिन डर लगता है वीणा जी कि 20वीं सदी खत्म होने तक यौन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उस लड़ाई को मानव समाज जीत पायेगा। सारी दुनियां में महिलाओं का शोषण होता है। हिन्दुस्तान में हम हिन्दुओं में थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन यह सारी दुनियां में होता है। एक तो हम लोग चूक गये हैं। जब कभी भी किसी देश में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता हैं और बड़े राजनीतिक परिवर्तन के मायने जो चुनाव से सरकारें बदला करती है, मैं उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, बड़ा राजनीतिक परिवर्तन 100 साल, 200 साल के कौम के संघर्ष के बाद जो परिवर्तन हुआ करता है, उसकी गर्मी में जो चाहे आप परिवर्तनकारी कदम उठा सकते हैं और अपनी जनता को उस रास्ते पर ले जा सकते हैं। यह काम केवल सन 1947 में ही हो सकता था। उसके बाद जो आदत पड़ गई उसको सही रास्ते पर लाने में अदालत से लेकर समाज की बनी और बिगड़ी मानसिकता तक युगों का इतिहास पड़ा हुआ है जिसकी तरफ माननीय सदस्य ने इशारा किया है। जिसको हम लोग देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, किसी के कहने पर उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। हमारे संस्कार हैं पुरुष प्रधान समाज के। ये जुल्म के संस्कार हैं। एक दिन मैं रामायण का सीरियल पढ़ रहा था। उसकी पत्नी के बेटे अपने बाप के यहां यह कहने आये कि हम आपके बेटे हैं। तो बाप ने कहा कि क्या सबूत है कि तुम हमारे बेटे हो। यह तुम्हारी मां को साबित करना पड़ेगा कि तुम हमारे बेटे हो। उस आदमी को हमने अपने युग का देवता माना है, अपना खुदा माना है, अपना भगवान माना है। सन 1947 के बाद पंडित नेहरू के जमाने में हिन्दू कोड बिल आया था। तो कट्टर हिन्दुवाद ने कसकर विरोध किया था। हम तो बच्चे थे तब। यूनिवर्सिटी में बी०ए० फर्स्ट इयर में पढ़ रहे थे। इलाहाबाद में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हुआ करते थे। किस तरह से जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ भिड़े थे। लगता था जैसे नेहरू कोई काफिर है। उनकी नीतियों को मैं पसन्द नहीं करता हूं। लेकिन उस समय नारी को अधिकार देने की बात चल रही थी। पुरुष प्रधान समाज, जमाने से संस्कृति

[श्री जनेश्वर मिश्र]

की एक धारा लेकर चला था दिमाग में, जिसमें कि नारी को गुलाम बनाकर रखना था। भारतीय नारी पुरुष की गठरी या बकरी के अलावा कुछ नहीं है। वह जहां-जहां जायेगा उसके पीछे जायेगी। उसको कोई अधिकार नहीं है। कहीं-कहीं किस्से मिलते हैं जिनसे दिल चौड़ा होता है। जैसे महाभारत के जमाने में जब भीष्म पितामह ने उपदेश देना शुरू किया था – बड़े विद्वान थे, बूढ़े थे, बाण शय्या पर लेटे थे—बड़ी—बड़ी नीति की बातें कह रहे थे तो द्रोपदी थोड़ा हंसी थीं। ऐसा न समझियेगा कि जो हम लोग सदन में कड़ी बात बोलकर झगड़ा कर लिया करते हैं उसी से किसी के दिल को चोट लगा करती है, व्यवस्था को, बड़ी व्यवस्था को बड़ी ताकत को मुस्कुराकर भी चोट दे दी जाती है। तो द्रोपदी ने हंसकर भीष्म पितामह की हैसियत और उस समय की समाज व्यवस्था को चुनौती दी थी। अर्जुन बिगड़े थे तो भीष्म पितामह ने कहा था, नहीं नाराज मत होओ इस पर, यह हंस इसलिये रही है कि जिस दिन इसकी साड़ी खिंची जा रही थी तो हमारी ये नीति की बातें उस समय कहा थीं। तो इसको हम बताना चाहते हैं कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था। मेरे खून में लगातार वह था। अब वह खून बह चुका है इसलिये उसके बाद हम नीति की बात चला रहे हैं। केवल द्रोपदी की हंसी से हिन्दू समाज की नारी को थोड़ी उम्मीद बंधती है। लेकिन वीणा जी आप फिर पुरुष प्रधान समाज के जाल में फंस गई हैं। यह जाल केवल धर्म से नहीं, केवल रामायण, महाभारत से नहीं है। आप झांसी में जाकर कभी देखियेगा। वहां पर एक मूर्ति है घोड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई की और उसके नीचे पेडस्टल पर लिखा है "भारतीय नारी का गौरव महारानी लक्ष्मी बाई"। यहीं राणा प्रताप की मूर्ति होगी, सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति होती या शिवाजी की मूर्ति होती तो उनको भारत का गौरव कहा जाता। लेकिन यह औरत की मूर्ति है जिसने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया। कल भी बेईमानी करती है औरत के साथ। केवल संस्कृति ने नहीं की है, केवल धर्मशास्त्र ने नहीं की है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि शंकराचार्य ने एक भाषण दे दिया। शंकराचार्य मामूली किस्म के साधू हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि औरतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। हमने अर्जुन सिंह से एक दिन बात की थी कि इतनी बड़ी बात है। वेद माने उच्च शिक्षा। किसी धर्मशास्त्र का बहुत बड़ा पंडित बोल पाये और उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही न करे? और फिर हम पति की समता में नारी के अधिकार की चर्चा इस सदन में करें। गूंगी सरकार के सामने। विधि मंत्री जी बैठे हैं। इतनी कड़ी बातें सफा दर सफा समाज में गुजरती जा रही हैं। हम केवल चर्चा करते रह जायें। तो डिबेटिंग सोसाइटी हम राज्य सभा को न बनायें, यह हम निवेदन करेंगे। वीणा जी से मैंने कहा ही है कि आप अपना विधेयक पेश करते समय फिर पुरुषों के जाल में फंस गई हैं।

हिन्दुस्तान का जो दलित है, अनुसूचित जाति का है वह बाकी लोगों के बराबर अधिकार नहीं मांगता। वह विशेष अधिकार मांगता है—आरक्षण। जो पिछड़ा वर्ग है वह बाकी लोगों के बराबर अधिकार नहीं मांगता है। वह विशेष अधिकार मांगता है—आरक्षण। जिस मंडल कमीशन की चर्चा अभी माननीय सदस्य कर रहे थे उसमें पिछड़ों को, दलितों को विशेष अवसर देने की, ज्यादा मौका देने की समाज में जो कमजोर होता है . . . । यह एक सिद्धांत है, जिसमें ताकत नहीं हुआ करती है उसको ज्यादा मौका दिया जाता है। घर में जो मरीज होता है, स्वस्थ आदमी के मुकाबले एक गिलास दूध उसको ज्यादा दिया जाता है। वीणा जी, आपको तय करना है कि हिन्दुस्तान की नारी कमजोर है या नहीं। अगर बराबरी के दौर में पुरुष के मुकाबले उसको आप छोड़ देंगी अपने इस विधेयक के जरिए तो पुरुष बराबरी का तो जैसे उसको गुलाम बना कर रखता था रखेगा। अगर बराबरी के दौर में ही हिन्दुस्तान के अनुसूचित जाति के लोगों को आज छोड़ दिया जाए, मंडल कमीशन न लागू किया जाए, पिछड़ों को छोड़ दिया जाए तो हिन्दू समाज के झगड़े उन सब को खा

जाएंगे । एक भी जगह नहीं लेने देंगे । यह सोचना पड़ेगा । यहां मर्द लोग ज्यादा बैठे हैं । अगर समाज में कमजोर है दलित, कमजोर है पिछड़ा और उसको ज्यादा मौका दिया जाता है तो औरत क्यों आपसे मजबूर हो करके बराबरी का हक मांग रही है ? इसलिए कि उसको मांगना नहीं आ रहा है और मैंने कहा था उप-सभाध्यक्ष जी, कि शायद 21वीं सदी के आखिर तक भी यौन के नाम पर जो गैर बराबरी और शोषण चल रहे हैं उसको हम लोग जीत नहीं सकते हैं । यहां विधि मंत्री जी बैठे हैं । गीता जी अपना विधेयक वापस ले लेंगी कांग्रेस पार्टी की हैं उनके नेता लोग दबाव डालेंगे, लेकिन विधि मंत्री जी को और इस पवित्र सदन को ईमानदारी से सोचना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान की नारी क्या मर्दों की गठरी बन करके रहेगी ? ऐसा नहीं है कि हिन्दुस्तान की नारी मर्दों के मुकाबले काम कम करती है, चूल्हा, चक्की, घास काटना, खेत में काम करना, जो कोई भी काम कहिए सब कामों में सब से आगे रहा करती है । लेकिन वह हुक्म के बल पर काम करती है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकती उसका अपना कोई अधिकार नहीं हुआ करता है । बेटा भी, बेटा भी जब मैं कह रहा हूं तो राजा राम चन्द्र जी का बेटा उनसे कहने के लिए कि हम आपके बेटे हैं और उस राजा राम चन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज ने कहा था कि यह तुम्हारी मां को साबित करना पड़ेगा । अगर कानून ही बनाना है तो एक बार क्यों नहीं कानून बना दिया जाता कि वल्दियत के नाम पर बाप का नाम नहीं बताया जाएगा केवल मां का नाम बताया जाएगा, फिर मां अधिकार अपने आप ले लेगी । परिवर्तन करना है तो कोई बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि दुनिया को वह जो हिन्दुस्तान पहले राह दिखाया करता था यौन के नाम पर शोषण के खिलाफ भी हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट, हिन्दुस्तान की संसद् और हिन्दुस्तान की जनता को कोई रास्ता दिखा सके, कोई रौशनी दे सके । सम्पत्ति का मामला थोड़ा टेढ़ा हुआ करता है । अभी मैंने पूछा था विधि मंत्री जी से कि पहले मिताक्षराई स्कूल था हिन्दू लॉ में, उसमें कोई ऐसा स्कूल था जिस स्कूल में जिस वर्ग में हिन्दू लॉ के महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए जाते थे, तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी के जमाने में हिन्दू कोड बिल आया तब से एक जैसा बिल बन गया, कानून बन गया । अब वह दो तरह के स्कूल नहीं रह गए हैं । लेकिन यह जो हिन्दी वाला बैल्ट होता है, जय श्रीराम वाला बैल्ट जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, यह मत समझिए कि गैर बराबरी कायदे-कानून से, संविधान से, जाबता फौजदारी की किताब से या ताजीराते-हिन्द की किताबों से ही निकला करती हैं विधि-विधान से ही निकला करती हैं हमारी आदतों से भी निकलती हैं । यह हमारा हिन्दी वाला इलाका मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश का यह रोटी खाने वाला इलाका है । मर्द चौके में जा करके जब बैठता है रोटी खाने के लिए चाहे वह बाप हो, चाहे बेटा हो चाहे आदमी मर्द हो, पति हो, चाहे भाई हो, तो औरत से यही कहता है जरा फुर सेंकना और यह पुरुष प्रधान समाज के दंभ का केन्द्र बिंदु है पांच रोटी सात रोटी एक बार बेलती है फिर उसको तवा पर रखती है फिर उसको सुखाती है और अगर दस लोग खाने वाले हुए एक रोटी पर पांच मिनट गया तो 50 मिनट चले गए । सब्जी, चावल, दाल अलग उसको नहाने को नहीं मिलता, कपड़ा धोने को नहीं मिलता, बच्चों की सफाई का मौका नहीं मिलता । यह पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बैल्ट में जो हिन्दू धर्म कट्टरपंथ का शिकार हुआ है उसका कारण यही है कि चौके में बैठकर मर्द औरत पर हुकुम बजाता है कि जरा फुर सेंकना । जैसे ही वह पंजाब की तरफ जाती है गांव में एक तन्दूर पकता है अपना आटा लेकर जाती है और सेंक कर ला देती है । पंजाब की औरत अपने बच्चे का कपड़ा, अपने पति का कपड़ा, अपना बिस्तर ज्यादा साफ करती है बर्तन ज्यादा चमका कर रखती है । वही औरत जब पश्चिम में यूरोप में चली जाती है तो वह डबल रोटी खाने लगती है और फिर तवे की रोटी नहीं रहती । वह अपने मर्द के साथ क्लब में जाकर बराबरी पर नाच करती है । तो हमारे खानपान हमारे रहन-सहन हमारे रीति-रिवाज हमारी कला-संस्कृति, हमारे

धर्म-कर्म, हमारे गीतकार सबने भारतीय नारी को गुलाम बनाया है सबने, टोटल में जोड़ रहा हूं और इसलिए एक मामूली से बिल से काम नहीं चलेगा केवल बराबरी का अधिकार देकर नहीं चलेगा क्योंकि कई दोहे, चौपाइयां, किस्से आज तक हमारी रगों में घुसे हुए हैं नसों में वह रहे हैं जिनके किस्सों के अन वह सब के सब हमको यह कुछ भी नहीं करने देंगे । एक मामूली से बिल के झटके से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता । इस पर सोचना होगा ।

महोदय, हमारे जैसा आदमी जो दलितों को आरक्षण देने के पक्ष में, पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में गरीब अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के पक्ष में, बोला करता है आज कहेगा कि आप देख लीजिए सरकारी नौकरियों में, दफ्तरों में, कल कारखानों में इनको कितना दे पाए हैं । मैं नहीं कहता कि इनको आप पलटन में भेज दीजिए । एक बार मैं उतनी हिम्मत नहीं कर पाऊंगे । इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण हुआ करता है उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण रहना चाहिए और अगड़ी जाति के लिए जिस तरह सीटें हुआ करती हैं उसी तरह से महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए सार्वजनिक जगत में ताकि राष्ट्र की मुख्य भागीदारी की धारा में यह आ सकें । अभी तो इनके आने में झिझक है इनकी हिम्मत नहीं है और अगर आएंगी तो घर में बड़ा भाई डांट देगा, उनका आदमी डांट देगा, इनका बाप डांट देगा । यह हिम्मत करके निकल नहीं सकती ।

महोदय, इनको शक की निगाह से देखा जाता है । एक ही पेट से पैदा हुआ लड़का और लड़की भाई बहन को अलग-अलग दृष्टि से देखा जाता है । भाई आवारागर्दी करके रात के 1 बजे तक जाएगा तो बात नहीं बिगड़ेगा, मगर बेटी रात के आठ बजे आएगी तो घर में कोहराम मच जाएगा । इस तरह समाज के करने के, सोचने के, आंख दृष्टि के अलग अलग पैमाने बने हुए हैं बेटे और बेटी के लिए । जब कभी भी हम लोग मंडल कमीशन की बात करते हैं या पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं तो उसमें लड़कियों का नाम नहीं आता, बेटा लोगों का नाम आया करता है । इसलिए जानबूझकर मैं यह कह रहा हूं ।

महोदय, मैं वीणा वर्मा जी के इस विधेयक का समर्थन करते हुए विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन सब के आरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए । जहां तक संपत्ति के अधिकार का है, इस पर मैं कहूंगा कि पति की संपत्ति में ही नहीं, बाप की संपत्ति में भी अधिकार हो । अगर बेटा लोग रहें तो जितना संपत्ति में हिस्सा बेटा लोगों को मिलता है उतना ही बेटियों को मिलना चाहिए । अगर वह पति के घर में आ जाए तो भी वह संपत्ति उसके पास रहे ही और पति की आधी संपत्ति की मालकिन भी वह बने । बाप के घर की जो संपत्ति बेटी लेकर आ जाती है, अगर उसकी बेटियां हैं तो केवल उनमें बांटा जाए, बेटियां न हों तो बेटों में बांट दिया जाए और पति की संपत्ति बेटे और बेटियों में बराबर-बराबर बांटा जाए । तफसील से कोई एक कानून बनाना पड़ेगा । एक मामूली झटके से या छोटा सा बिल लाकर के अगर हम हिन्दुस्तान की मां की शक्ति को प्रबल या सबल बनाना चाहते हैं तो शायद हम उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे । इसलिए मैं निवेदन करूंगा विधि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं हम प्राइवेट बिल पर चूंकि सरकार का जवाब आता है उसी तरह सिर्फ इस पर जवाब देकर आप टाल न दें । वीणा जी ने यह बहुत ही गंभीर मामला छेड़ा है इस पर गंभीरता से विचार जरूरी है क्योंकि जिस देश की मां कमजोर होगी उस देश के बच्चे कभी मजबूत हो नहीं सकते और आज हिन्दुस्तान की मां को कमजोर बनाने के लिए सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, कला के तौर पर, दौलत के तौर पर सब तरफ से साजिश की गई है ।... और इसलिए हिंदुस्तान कमजोर बना । कमजोर इतना बना कि

मामूली सा हमलावर कभी आया होगा हिमालय के दर्रे से या अरब सागर से तो सदियों गुलाम बनाकर चला गया होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, कभी-कभी भा०ज० पा० के मित्र राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि मातृ-शक्ति को ताकत देने के लिए प्रबल और सबल बनाने के लिए आपको भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए।

श्री संघप्रिय गौतम : मिश्र जी आपने बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन आखिर में गुड़-गोबर कर दिया।

श्री जनेश्वर मि० : आपकी तरफ इशारा कर के न ?

श्री संघप्रिय गौतम : जी।

श्री जनेश्वर मिश्र : : म नहीं जानता था कि आप लोग इतने बड़े गोबर हैं कि मैं इशारा करूंगा तो गुड़-गोबर हो जाएगा।

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a very important and a rather evolutionary Bill in the light of the problems which are existing for women for a very long time in this country. I really appreciate and thank Smt. Veena Verma heartily for having presented such a Bill. She has, in fact set a ball in motion for establishing justifiable rights for married women. Sir, why does a woman have to wait for widowhood to enjoy her rights on matrimonial property ? This is a very leading question and a searching question. Luckily, the Law Minister is also here.

[The Vice-Chairman -(Shri Suresh Pachouri) in the Chair]. Sir this Bill presented by Smt. Veena Verma raises very important questions highlighting the plight of women who, under the present provisions, are bestowed with property rights only after the death of their husbands of in case of divorce. It is shocking to find that despite nearly half a century after independence, nothing has happened to really elevate the position of women in the society. Their ideality has not been well-established. According ta a recent survey, it appears that almost four women commit suicide every day, some 24 women are kidnapped every day and 20 women are raped every day. Such is their state of affairs. Sir. if you look at the police record? of 1986, they reveal that no less than 1,200 women were burnt for dowry, 1,535 women were abducted and 1,463 ! women were raped in three States in particular, namely, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and West Bengal. Al! these are testimonies to the fact that women have no social and economic status in the eyes of the lay. So, now it is for the law-makers and for this august House to consider these horrible facts. Not only that, under the present law of maintenance,—in particular I wish to draw attention to section 125 of the CRPC —there is no provision for the grant of interim maintenance or ex-parte maintenance, as a result of which women who are separated live often without any means of subsistence *for* a period of one to Aree years till their cases are decided by the courts. Sir, the Hindu Marriage Act does not provide any similar grant *of ex-parte* maintenance. Smt. Veena Verma's Bill calls for correction of this anomaly by emphasising the need for an amendment in the Constitution seeking equal rights for a married woman on the movable and immovable properties of her husband even while -he is alive. The 'Bill demands that a woman should have a right on matrimonial property With powers to will, to divide and to donate her share, if necessary, to anyone according to her wishes. I am-quite sure that *the w*omen in India-will stand to gain in a big-way if the Married Women (Proffetion of Rights) Bill, 1994 presented to this House by Shrimati Veena Verma is adopted by this august

House The Bill will virtually bring about a very much needed economic

emancipation of women in this country. The significance of the Bill is apparent from its very objectives. *If* a woman's right in the property of her husband is recognised, the moment she marries she vail start feeling secure and will overcome her sense *of* helplessness and economic insecurity. This will minimise, if not really be able to eliminate, the causes of separation and divorce. I am sure that this Bill will ameliorate their conditions- What will she get in divorce ? The society should consider very seriously and this Legislature should also consider very seriously that there should be a grant during the *time* of separation for proper subsistence. Another important aspect of the Bill relates to the rights proviced for the married women under section 3 of the Bill which is also very important. A women will have the right to live in the House of her husband, whether owned by him or by his joint family, without seeking judicial separation or divorce. This is very, very important. Also, without seeding judicial separation from her husband, she will be entitled to food, clothing, protection not only for herself but also for her children. This is also very important. Otherwise, she is very much neglected, , therefore support the grant of some of the basic demands on behalf of the women of lndia. Firstly, woman should be given equal rights in the property of her husband, both movable and immovable property, from the date of her marriage. Secondly, the women should also be granted equal rights in the property of their parents. - This is another very important aspect. Thirdly, the Government should direct the National Commission for Women to evolve a very suitable package for the amelioration *61* the conditions of the women in this country. This is very important. 'Lastly, the Government should constitute a Commission under the Ministry of Law to go into the property rights oil women. Therefore, Sir, stricter laws are needed to be enacted by the House on women's rights. That is my urge. I, therefore, support the Bill wholeheartedly which is introduced by Shrimati Veena -Verma and request the Government to give due consideration to the Bill. But as I have known from the history of the Private Members' Bills, I understand that only seven Bills have so Jar been accepted by the Government since the Rajya Sabha came into existence. But I appeal to the conscience of this House and the Law Minister that the Private Members' Bills should be respected, considered very seriously as is done in other countries and other democracies of the world.

Thank you. Mr. Vice-Chairman,

श्री गोविन्द राम गिरी : (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या श्रीमती वीणा वर्मा द्वारा लाए गए विवाहित महिलाओं के सम्पत्ति पर अधिकार संबंधी विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

आज विवाहित महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकारों पर चर्चा हो रही है । किन्तु खेद का विषय है कि हमारी जो महिला सदस्या हैं, उनकी संख्या आज यहां पर नगण्य हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को प्रारम्भ से ही एक उपभोग की वस्तु समझा गया है । महाभारत काल में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच जब जुआ हुआ था और जब जुए में पांडवों की सारी सम्पत्ति समाप्त हो जाने पर उन्होंने अपनी पत्नी द्रोपदी को ही जुए के दाव पर लगा दिया था । इसको हम नहीं भूल पाते हैं । आज अगर हम यह सोचें तो आश्चर्य होता है कि कैसे उस समय में यह सब बातें चलती रही । मुझे इस संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद की लिखित कहानी—कफन की याद आती है । इसमें एक स्त्री प्रसव पीड़ा में कमरे के अंदर कराह रही होती है और घीसू और माधव जो बाहर रहते हैं और आलू भूनते रहते

हैं । बाप अपने पुत्र से कहता है कि—अंदर जा, तेरी पत्नी कराह रही है । लेकिन वह कहता है कि—नहीं, तेरी बहू है, तो तू जा । तो इसमें इस तरह से चित्रण किया गया है कि अगर कोई एक अंदर चला जाएगा तो दूसरा सभी आलू खा जाएगा । इस प्रकार कोई अंदर नहीं जाता है । तो यह कहानी स्त्रियों की स्थिति को प्रगट करता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है । अंत में वह महिला मर जाती है। कफन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और जब कफन को पैसे मिलते हैं तो उससे वह शराब आदि पी जाते हैं । तो महिलाओं की यह स्थिति हमारे समाज में रही है ।

कहा जाता है कि सारे झगड़ों की जड़ में—जर, जोरू और जमीन है । पैसा, इज्जत महिला और जमीन । ऐसी स्थिति में यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है । महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अनेक कानून बने हैं । लेकिन महिलाओं को अधिकार कब मिलेगा ? जब वह विधवा हो जाएगी, पति की मृत्यु हो जाएगी । अगर कोई महिला अपनी ससुराल में इस बात की अपेक्षा करती बैठी रहे कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरे बच्चे हैं, मेरी देखभाल होगी । परन्तु वहां भी उसे सम्पत्ति नहीं मिलती और अधिकार नहीं मिलता ।

भारतीय संविधान के आर्टिकल—14 में कहा गया है कि कानून में सब समान हैं । इक्विलिटी बिफोर ला । लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि महिलाओं को वह दर्जा प्राप्त नहीं है, यद्यपि उनकी जनसंख्या आधी जनसंख्या है । वह आधी दुनिया की मालिक है । इस पुरुष प्रधान समाज में हम देखते हैं कि जब भी कोई बात आती है, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है अपनी रक्षा के लिए । परिवार नियोजन की बात आती है तो पुरुष कहता है कि महिला ही नसबन्दी कराए और स्वयं तैयार नहीं होता । जबकि पुरुष की नसबन्दी तत्काल हो जाती है । परन्तु इसमें महिलाओं को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं । जब वह ससुराल में पुत्र को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको ही दोषी माना जाता है : इसमें पुरुष का दोष नहीं देखा जाता । तो आज यह स्थिति है । जब विवाह होकर लड़की ससुराल जाती है और वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे ही कारण मानकर उसको ही प्रताड़ित किया जाता है । तो महिलाओं की आज ऐसी स्थिति है । अभी जो उत्तराधिकार अधिनियम है, उसमें पति की मृत्यु के बाद सन्तान को जो सम्पत्ति मिलती है उतना ही बराबर का हिस्सा पत्नी को मिलता है । यह स्थिति अच्छी नहीं है ।

4.00 P.M.

भरण-पोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में जो उपबंध किए गए हैं, उसकी भी अधिकतम सीमा पांच सौ रुपए प्रति माह है जो कि अपर्याप्त है और उससे बचने के लिए लोग कहते हैं कि साहब, मैं तो भीख मांग रहा हूं, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो लाचार हूं कुछ नहीं कमा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं । इस तरह से कानून से बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं और यदि अधीनस्थ न्यायालय कोई डिक्री दे भी देता है महिला के पक्ष में तो पुरुष उसका रिवीजन करता है, अपील करता है और ऊंची से ऊंची अदालत में जाता है । पत्नी कहां तक जा पाएगी ? और इस तरह से उसे या तो अपने मायके पर आश्रित रहना पड़ता है या उसे मजबूर होकर कोई गलत रास्ता चुनना पड़ता है । शादी हो जाने के बाद पुरुष समाज उसका भरपूर शोषण करता है और शोषण करने के बाद वह दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, चौथी शादी भी कर लेता है और अगर महिला थोड़ा सा प्रयास करे तो उसे व्यभिचारिणी, कुलटा आदि तरह-तरह के अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाता है । मुझे एक घटना याद आती है जब मैं मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का सदस्य था तो एक पीड़ित महिला मेरे पास आई थी, मुसलिम समाज की थी कि साहब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मैं मायके में हूं, मेरा बच्चा है, वह दूसरी शादी करने जा रहा है, उसे आप रोकिए । मैंने कहा कि बहनजी मैं मजबूर हूं क्योंकि आपके यहां चार विवाह का प्रावधान है, वह दूसरा विवाह कर सकता है, कानून उसको रोक नहीं सकता हम उससे निवेदन कर सकते हैं, कुछ कह

सकते हैं तो उन्होंने कहा कि निवेदन से मानने वाले नहीं हैं । तो कानून इतना लाचार है, स्थिति अच्छी नहीं है । राजनीति में काम करने के नाते, वकालत का पेशा होने के नाते मैं महिलाओं की समस्याओं से नजदीक से वाकिफ हूं और इसलिए मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि व सच में महिलाओं का कल्याण करना चाहते हैं तो आज आवश्यकता है कानून में संशोधन करने की और जिन बातों की ओर वीणा वर्मा जी ने ध्यान दिलाया है, उन बातों का उसमें समावेश हो।

आज पति नौकरी करता है, पति की मृत्यु हो जाती है लेकिन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए, कम्पैशनेट इम्प्लायमेंट के लिए उसे दर-दर भटकना पड़ता है। क्यों न उसको अनिवार्य कर दिया जाए कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी योग्यता के मुताबिक स्थान दिया जाएगा ।

लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल तो पुरुष के हाथ में रहता है भले ही सम्पत्ति पत्नी के नाम पर रहती हो उसकी बिक्री करने का, उसको दान करने का अधिकार, उसको देना, यह सब पुरुष के हाथ में रहता है। इसलिए यह अनिवार्य किया जाए कि जब किसी चीज की बिक्री हो तो उसमें पत्नी के भी हस्ताक्षर हों, उसकी सहमति ली जाए । इस तरह से पति के मरने के बाद पत्नी पेंशन के लिए दर-दर भटकती हैं। उसको बताया जाता है तो पेंशन के जब कागजात बनने हो तो उसमें भी एक महिला, दो महिलाओं या तीन महिलाओं का झगड़ा रहता है कि कौन असली है? कौन नकली हैं? तो जो विवाहित महिला है, उसी को दिया जाए। यह उसमें अनिवार्य किया जाए और जो भी बैंक बेलैंस हो, उसमें दोनों का नाम हो ईदर और सर्वाइवलर, पति का भी हो और पत्नी का भी हो और जमीन के जो खाते-पर्चियां बनती हैं, पटवारी के पास जो रिकार्ड रहता है, उसमें अकेले पति का नाम उसमें हो, उसमें भी पत्नी का नाम हो साथ-साथ उस खाते में, उसकी पर्ची की कॉपी उसको मिलनी चाहिए, उसके हाथ में भी सम्पत्ति के कागजात रहें ।

आज दहेज प्रथा के नाम पर महिलाओं की आए दिन हत्याएं की जाती हैं। महिलाओं का जीवन बहुत ही नारकीय हो गया है । किसी को व्यापार करना है तो पत्नी को ढाल बनाते हैं कि जाओ अपने मयके से पैसा लेकर आओ तब व्यापार करेंगे। अरे, आप पुरुष हो महिला तो आपका घर चलाने के लिए आयी है, पूरा जीवन आपको देना चाहती है। लेकिन नहीं, दहेज के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता है जलाया जाता है, मारा जाता है । हर रोज उसके लिए नया दिन होता है क्योंकि दिन बड़ा अच्छा बीत गया तो ठीक है पर अगले दिन पता नहीं क्या हो? पति शराबी निकलता है वह पत्नी को मारता है, पीटता है। बच्चों की पढाई लिखाई नहीं हो पाती और मां खून का घूंट पीकर रह जाती है, चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास आर्थिक आधार नहीं है। हम आर्थिक युग में जी रहे हैं । दहेज के मामले में जहां तक मेरा अनुमान है, दहेज में महिला ही महिला की शत्रु हो जाती है । महिला इस बात को देखती है कि जब मैं बहु बनकर आयी थी तब इतने जेवर पहने थी, इतना दहेज लेकर आयी थी, यह आयी है तो क्या लायी है, कितना लायी है ? इसी स्टेटस को देखती है । वह भूल जाती है कि वह भी कभी बहू थी, उसकी लड़की भी किसी की बहू है । तो इस तरह की जो बातें हैं, इनको हमें दूर करना होगा ताकि समाज में संतुलन बना रहे । पति के मरने के बाद पत्नी से कहा जाता है कि तुम सादा जीवन जियो, सादे कपड़े पहनो। इसी तरह की और कई वर्जनाएं उसके सामने आ जाती हैं जब कि पुरुष के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हमारे यहां विवाहित पुत्री को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। हम राशन कार्ड बनवाते हैं तो उसमें भी विवाहित पुत्री का नाम नहीं डाल सकते । यहां तक कि सी.जी. एच. एस. डिस्पेंसरी के कार्ड पर भी विवाहित पुत्री का नाम नहीं होता है और यदि उसके ससुराल वाले उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो उसके इलाज का बोझ लड़की वालों को ही वहन करना पड़ता है। एक और चीज आजकल भ्रूण परीक्षण चल रहा है। मशीन से यह देखते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की है कि लड़का और जहां लड़की होने का लक्षण देखते हैं, वहां मां के न चाहने के बावजूद उसको गर्भपात कराने के लिए विवश किया

जाता हैं। और तो और, यहां पर महिलाओं को अपने पति तक का नाम लेने का अधिकार नहीं हैं। तो इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए आज यह आवश्यक हो गया है कि विवाहित स्त्री को उसके पति के जीते जी उसकी सम्पत्ति पर—चाहे वह चल हो या अचल, जो भी हो बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पत्नी अर्धांगिनी कहलाती हैं। जब आप उसे अर्धांगिनी कहते हैं तो सम्पत्ति पर भी उसका आधा हिस्सा होना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। कल से शक्ति की पूजा, नवरात्रे प्रारम्भ हो रहे हैं। यह उपयुक्त अवसर है कि जब हम नारी को देवी मानते हैं, शक्ति मानते हैं तो इस अवसर पर हमारे विधि न्याय मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को वह स्वीकार करें या जो प्रस्तुतकर्ता हैं, उनके वापिस लेने पर, इनमें जो बातें लिखी गयी हैं, उनको उपयुक्त विधेयक लाकर समाविष्ट किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर ठाकुर: (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमती वीणा वर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा प्रस्तुत किया हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं। महिलाओं के जीवन के जो दर्शन हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और उनके साथ आज के समाज में, अपने देश के विभिन्न भागों में जो भी व्यवहार हो रहा है, इस पर उन्होंने शोक प्रकट किया हैं और अपने विधेयक में सुझाव दिये हैं। हमारे सदन के माननीय पूर्व वक्ताओं ने महिलाओं की समस्याओं पर, जो भी उनकी व्याप्त कुरीतियां हैं दहेज आदि की, उनका उल्लेख किया है। साथ ही साथ उनके साथ जो उत्पीड़न, अत्याचार और दूसरी समस्याएं हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। उनको समानता का अधिकार है। इस पर भी लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के विषय में भी सदन में उल्लेख किया गया। इस तरह की जो समस्यायें हैं और जिनके समाधान में हमारी सहानुभूति है लेकिन उन बातों को दोहराना नहीं चाहता मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का एक दूसरा स्वरूप भी है जिसे हम भूलना नहीं चाहिए। वेद के समय से महिलाओं की जो महिमा है, जो गरिमा है, महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में हमारे लोगों ने हजारों वर्षों से कबूल किया है उसकी एक मर्यादा है जिसे लोगों ने स्वीकार किया है। मैं यह मानता हूं कि आज बुराइयां व्याप्त हैं और उसके समाधान में जो बातें कही गई हैं उनका समर्थन करते हुए मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि लाखों, करोड़ों की संख्या में मातृ शक्ति जिसे विनोबा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं को सहभागिनी बनाया था और बड़ी संख्या में सारे देश से सभी धर्म और जातियों की महिलाएं आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ आगे आईं। यह समस्या तीन पक्षों में देखी जानी चाहिए। ये तीन पक्ष हैं—सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष। जो राजनीतिक पक्ष है उसके बाद संवैधानिक पक्ष भी आता है। सांस्कृतिक पक्ष का मैंने जैसा बताया हमारे देश में बहुत सी नारियां विदुषी हुई हैं, वेद और दूसरे शास्त्रों को जानने वाली हुई हैं। यज्ञ में भाग लेती थीं। अभी यह कहा गया और किसी शंकराचार्य जी का कहना है कि नारियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं। लेकिन सैकड़ों उदाहरण हैं जहां भारत की विदुषी महिलाओं ने वेद का केवल अध्ययन एवं अध्यापन नहीं किया बल्कि उसके प्रचार प्रसार में भी योगदान किया। उस जमाने में और आज भी इसकी मान्यता है कि बिना नारी के पुरुष अकेला यज्ञ नहीं कर सकता। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए वेद या दूसरे शास्त्रों को माना जाता है। इसलिए यह कहना कि महिलाएं बिल्कुल वंचित हैं यह ठीक नहीं है। यदि सही माने में देखा जाए तो बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्ति आज भी अपने अधिकार को अपनी संस्कृति के मुताबिक सुरक्षित रखती है।

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

उसमें से दूसरा पक्ष देखने का यह है कि वास्तव में नारी स्वावलंबन की दिशा में. जैसा मैंने कहा कि सांस्कृतिक धरातल के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में कैसे हम उनको भागीदारी दे सकते हैं, इस पर भी काफी विचार हुआ है। संविधान में उन्हें अधिकार मिला है लेकिन तीन वर्ष पूर्व संसद ने जो अधिकार महिलाओं को दिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजनैतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए संविधान में 73वां जो संशोधन किया गया, उसके मुताबिक राजनैतिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : असेम्बलियों और पार्लियामेंट के लिए नहीं किया गया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : आप जरा पूरी बात सुन लीजिए। मैं 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं जिसको लोकसभा और राज्य सभा ने 1992 में पारित किया और सभी राज्यों ने इसकी पुष्टि 6 महीने के अंदर की, विधान सभाओं ने भी इसको पारित किया और इस पर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 24 अप्रैल; 1993 को हुए और यह संविधान का अंग बना। इसके बाद एक साल के अंदर सभी राज्यों ने 23 अप्रैल, 1994 तक, सभी राज्यों की विधान सभाओं ने इस कानून को पारित कर, पंचायत राज कानून पारित कर महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसको सभी राज्यों ने किया है। क्योंकि ये प्रावधान अनिवार्य थे, मैन्डेटरी थे, इस लिए इसको सभी राज्यों ने पारित किया। इस बारे में किसी को द्विविधा नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित किए गए हैं। एक तिहाई स्थानों में महिलायें चुनी गयी हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावों के बाद जिला अध्यक्ष यहां आए थे, वे महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले, माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले और लोगों से मिले। उसमें महिलायें एक तिहाई जिला अध्यक्षों के रूप में आई थीं। इनमें कई महिलायें विदुषी हैं। वे कालेज में पढ़ाती हैं, वकालत करती हैं। वे यह काम छोड़कर इस काम में लग गयी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। हमारे सचिव महोदय को यह चिन्ता हुई कि ये पढ़ी-लिखी भी हैं या नहीं। लेकिन पाया गया कि उनमें अधिकांश अच्छी पढ़ी-लिखी महिलायें थीं और उनके अपने नये दायित्व का पूरा ख्याल है। उनको जिला स्तर पर जो दायित्व दिया गया है, उसमें उस पूरे क्षेत्र के 29 कामों के पूर्ण संचालन का काम उनको दिया गया है,। कृषि, लघु सिंचाई, छोटे उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा, गांव और पंचायत के स्तर पर, मीडियम दर्जे की शिक्षा प्रखंड स्तर पर, और हाई स्कूल की शिक्षा, ये अधिकार उनको दिये गये हैं और जिला स्तर पर संचालित स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण इस तरह के 29 विषय, जो राज्य सरकारें चलाती थी, वह जिला परिषद के अधिकार में दे दिये गये हैं। हमारी जो महिलायें अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का अधिकार क्योंकि सदस्य बनने के लिये एक तिहाई का प्रावधान नहीं है, एक तिहाई उनमें से अध्यक्ष बनेंगी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर और जहां-जहां यह काम हो रहा है, आप देखेंगे कि उन राज्यों में महिलायें अच्छा काम कर रही हैं। अब समय आ गया है इसी तरह से महिलायें हमारी विधान सभाओं में, यहां पर बड़ी संख्या में अभी भी हैं, और जितनी आयीं हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन इससे अधिक संख्या में विधान सभाओं, राज्य सभा और लोक सभा में भी महिलायें आयेंगी। वह अपना उत्तरदायित्व राजनीतिक क्षेत्र में निभायेंगी, सामाजिक क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी और साथ-साथ जो आर्थिक विषय हैं, आर्थिक विषयों में भी उनका योगदान होगा। मैं समझता हूं, समय शायद कम है, घंटी बज चुकी है, इस लिये मेरा निवेदन यह है कि तीन प्रकार के कार्यक्रम इसके लिये जरूरी है।

कानूनी दृष्टि से, संवैधानिक या कानूनी जो प्रस्ताव जरूरी है इस दिशा में, वह पारित किये जायें । दूसरी बात आर्थिक दिशा में उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिये । तीसरी बात यह है, पंचायत की बात मैंने कही है । इसका हमें कटु अनुभव भी है । अभी हमारे माननीय मिश्रा जी भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के बोल रहे थे । मैं मेरठ गया था मेरठ में एक हजार से अधिक ग्राम प्रधान सभा में मौजूद थे । मैंने एक महिला को मंच से नीचे सभा में देखा । मैंने पूछा कि कौन है तो बोले कि वह महिला ग्राम प्रधान है । हमने कहा कि निवेदन करिये कि वह मंच पर आ जायें । बताया गया कि मंच पर वह नहीं आयेंगी । लेकिन उनको बुलाया गया । हमने कहा कि निवेदन करिये कि वह कुछ बोलें । बताया गया कि वह कुछ नहीं बोलेंगी । उन्होंने कान में कुछ कहा, हमें यह बताया गया कि वह बोलना नहीं चाहती हैं । मैंने कहा कि वह बोलेंगी, तब मैं बोलूंगा । लाचार होकर के उनको लाया गया मंच पर । एक मिनट तो कुछ औपचारिकतायें होती रहीं उसके बाद प्रचाण्ड काली का रूप उन्होंने धारण किया और कहा कि यह जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं, यह सब लोग हमें वहां बोलने नहीं देते हैं, गलत काम करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं । जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक यह सुधार नहीं होगा, इस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा । वह बोलती गईं, बोलती गईं, बहुत से लोग खड़े हो गये, आंखें दिखाने लगे लेकिन वह खूब बोलीं । इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है । कितना समय, है, मुझे मालूम नहीं, उपसभाध्यक्ष महोदय जितना समय देंगे, मैं उतना बोलूंगा । दूसरा उदाहरण है मथुरा का । लगभग 700—800 ग्राम प्रधान आये हुये थे । उस समय कानून नया बना था । सात आठ ग्राम प्रधान खड़े हो गये और बोले कि मंत्री जी आप जहां भी जाते हैं केवल महिलाओं की बात करते हैं, एक तिहाई की बात करते हैं तो हमारे घर का काम कैसे चलेगा ? अगर यह सब महिलायें चलायेंगी तो ठीक है दिल्ली से महिलाओं को ले आइये और उन्हीं को पंचायतों में बैठा दीजिये । हमारे घर का काम कैसे होगा ? हम लोग क्या करेंगे । इस तरह आठ-दस लोग खड़े होकर विरोध प्रकट करने लगे । हमने कहा उनको बोलने दीजिये । हमारे वहां के जो जिला अध्यक्ष थे वह संकोच महसूस कर रहे थे । हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी उस समय उत्तर प्रदेश ग्राम संगठन के अध्यक्ष थे । हमने शर्माजी से कहा कि उनको बोलने दीजिये । बोलने के बाद हमने उन सदस्यों से कहा कि आप यह बताइये कि आपके घर का काम कौन करता है । महिलायें करती हैं । हमने कहा कि खाने-पीने, रसोई का काम, बच्चों की देखभाल, पढ़ाई-लिखाई की देखभाल कौन करता है तो उत्तर मिला कि महिलायें करती हैं । हमने पूछा कि विवाह शादी संस्कार जब घर में होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है । बताया गया कि महिलायें करती हैं । खेत में खाना कौन भेजता है । यह भी वही करती हैं । हमने कहा कि यदि वह सारे घर को चला सकती हैं तो पूरे गांव को भी चला सकती है । उनमें वह शक्ति है ! आप कहते हैं जिस घर में महिला नहीं हो वह घर सूना हो गया, घर का काम नहीं चलता है । तो जो महिलायें सद्गुण संपन्न है, अभी सब काम देखती हैं, सहानुभूतिपूर्वक मेहनत करके सारे घर के और खेत के काम करती हैं, गांव के काम भी करती हैं वे ग्राम पंचायत के काम भी अच्छी तरह से संचालित करेंगी । फिर यदि ग्राम पंचायत का कार सकती हैं तो प्रखंड का भी करेंगी, जिले का भी करेंगी । मैंने उदाहरण दिया कि हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे अन्य विशिष्ट महिलायें हैं जिन्होंने सारे देश को चलाया, विश्व में इतना नाम-धाम किया । तो महिलायें यह कर सकती हैं । उनको मौका चाहिये और यह मौका, यह अधिकार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रस्ताव के द्वारा संविधान में दिया गया, और एक तिहाई का उनको अधिकार है कि वे चुनी जायें । जहां जहां नहीं चुनी गयीं हैं जैसे उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाला है और अन्य राज्यों में जहां

चुनाव हुआ है, आसाम में, पूर्वाचल में, पश्चिमी बंगाल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तथा अन्य जगह में वहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत जोरों से बढ़ रही हैं। वे अपने अधिकारी को अच्छी तरह से संचालित कर रही हैं।

आप देखेंगी कि चुनाव का क्रम कुछ महीनों में समाप्त हो जायेगा। साढ़े 22 लाख पंचायतों में लोग चुने जायेंगे, साढ़े 7 लाख नगरपालिकाओं में चुने जायेंगे, इन 30 लाख में से मुझे लगता है कि 10 लाख महिलायें होंगी सारे देश में। ये 5 हजार नहीं हैं। हम लोग सारी विधान सभाओं एवं विधान परिषदों में, राज्य सभा और लोक सभा में मिलाकर 5 हजार से कम हैं।

हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जो बराबर कहा करते थे कि सत्ता का ध्रुवीकरण थोड़े लोगों के हाथों में हो गया है। विकेंद्रीकरण होना चाहिये। इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में अपने देश में 30 लाख चुने हुये प्रतिनिधि होंगे जिनके हाथ में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का काम होगा-- गांवों से लेकर जिले तक। यह काम तो होगा ही और इनमें 10 लाख महिलायें होंगी।

लगभग सवा तीन लाख महिलायें इनमें ऐसी होंगी, जो चेयर परसन या अध्यक्षा होंगी। उनके हाथ में संचालन होगा। जिला मजिस्ट्रेट या जो हमारे विशेष पदाधिकारी, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं, वे उनके सचिव होंगे। इनमें आदिवासी महिलाएं भी चुनकर आयेंगी। मध्य प्रदेश में वीणा जी आप जानती हैं कि वे आई हैं, वे अध्यक्षा हैं। आज हमारे बड़े अच्छे जिला स्तर के जो आई०ए० एस० आफिसर हैं, वे उनके सचिव बनकर उनके मातहत काम करते हैं।

इसके अलावा जो दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये सब मिलकर काम करेंगे। समूचे विकास का काम होगा--जितना हमने बताया, यह सब जिले के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, गांव के स्तर पर होगा। इन सब कामों में उनकी भागीदारी होगी। हमारा कर्तव्य और दायित्व यह है--मैं अपील करना चाहता हूं कि हम इस प्रक्रिया को सफल होने दें। जो इतनी बड़ी संख्या में महिलायें चुनकर आई हैं या आ रही हैं, उनको हम सक्रिय योगदान दें।

हम सदस्यगण जब क्षेत्र में जाते हैं, तब उनसे बात करें। उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। यह जो जनतांत्रिक व्यवस्था हुई है और जो अभी पहली बार संविधान के अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 10 लाख के लगभग महिलायें भाग ले रही हैं या लेंगी, उनके हाथों को मजबूत करना, सही मायनों में उनको सफल करना हमारा कर्तव्य और दायित्व है तभी वैसी जो भावना इनके प्रस्ताव में हैं, उसकी पूर्ति में हम सक्रिय भूमिका अदा कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः वीणा जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इस प्रस्ताव को लाईं और उपसभाध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और हमारे जो बड़े सक्रिय संसदीय राज्य मंत्री जी हैं, उनको, कि उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि मैं कुछ दो शब्द कहूं।

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing today a Private Member's Bill in regard to protection of the rights of married women in our country.

Mr. Vice-Chairman, in this House, we have several times discussed about the weaker sections of the society, about the oppressed classes, about the Scheduled Castes, about the Scheduled Tribes and about the minorities. I think on all these issues, the House has been unanimous when it came to passing any legislation, taking

any action, making any amendments, even if they were Constitutional amendments. This House has been unanimous and we have always risen as one to take measures to always help these oppressed sections of society.

Sir, I would like to mention that in our country, not now but since centuries, women have been the most oppressed section of our society. This aspect has also cut across all party and religious lines and angles, cut across ail regional barriers and, through the centuries, women as a class, irrespective of whether they belonged to forward classes, backward classes, Scheduled Castes or Scheduled Tribes, have not only played a very subservient role but have always been subjected to a great amount of oppression and have had to bear great pain and insult in this great country of ours.

Though our Constitution provided for the reservation of certain classes of people, I don't know how women actually slipped from the mind of the founding fathers of our Constitution. Whether it was because of the religious codes which governed society since centuries or whether it was because of the laws that evolved through the centuries and decades, women have always been at the receiving end.

Mr. Vice-Chairman, our country has been, I would say, not notorious as far as women are concerned. We have heard of dowry deaths. We passed the Anti-Dowry Act. So many legislative measures and actions have been taken. But I think we should go to the root-cause to see as to why these problems have been continuing and why women still have to face this kind of a horrendous situation in a country like ours. Is this just because women are the weaker sex or is there any other reason? Is it because of *our* religious mores or is if because of *OUT* social conditions? What is actually the root-cause which has subjected them to this kind of a problem? Sir, I dare say that the. main cause of this revolves around their dependence.

Women have been, for ages, dependent on the menfolk, whichever class, whichever region, whichever caste they belonged to and, I think, this has placed them in a position where they had to take in a lot of insult and subject themselves to all kinds of atrocities which they have been forced to face. There has been no way out.

Mr. Vice-Chairman, in the recent laws that have been made, women have been given rights to property from their parents side—father's property. They are coparceners to it when it comes to rights to parents' property. But marriage is an institution which has developed in various countries and in our country through the ages. Once a woman gets married, she becomes a part of her husband's family. Now, fortunately, the Law Minister is also sitting here, and I would like the Government and hon. Members of this House to consider the option of giving coparcenary rights to a married lady *in* her husband's family. After all, she is part of the family once she is married and she goes over there.

Even in the rights that have been given for the parents' property, there are several lacunae. For instance, take your land ceiling laws or urban land ceiling laws which have come into existence in the last two or three decades. In the father's or mother's property, under most of the land ceiling laws which are being followed in most of the States, including *the* Central land ceiling Act, women have a right to the property. But when it comes to agricultural load holdings, in some States it is only a inruoi. married and eparated some

[Shri V. Kishore Chadra S. Deo]

who is entitled to an agricultural holding. But a major daughter, though she may have a right to property, is not entitled to an agricultural land holding. So, what does she do with the land? She surrenders it, and the compensation that she gets, you know, is nothing compared to the market rate. Even if she gets a better rate, why should you deprive a girl just because she is a girl, of a separate holding in the same way her brothers are entitled to. The same thing applies in the case of urban land ceiling laws also-Unless yon admit these laws also which have come, you are only partially giving them the benefit of what yon have been doing. That is why most of the dowry deaths are caused. Generally, when a woman gets into a family, the family pesters her for dowry, send her home and ill-treat her. That leads to very shameful consequences leading even to death. Now, if you give her right in the property of her husband's family, then, they will not harass her for getting dowry because, once they do that, she can always go to her parent's place and claim her share in the property of her husband's family. Once she becomes a part of that family, why should she not be entitled to half of the husband's property? In case of divorce, I think, today, something called 'maintenance" is given? Why maintenance? Why not half the salary, unless she gets married again? Why should she not set half the share of the house and other property that belong to her husband? If we really want to control dowry deaths and if we really want to stop *these* social evil's which have actually besmirched the image of our society, then. we have to think if these radical measures and be bold enough to take these steps which will protect women because ultimately economic reasons are the basic causes for all these problems. Well, none of my friends from the left parties are sitting over here, but, at least, I am sure, they would have agreed with me when I said that. At least, in this case, definitely, economic criterion is one of the main reasons, which has also caused misery to women, especially in our country.

Well, Mr. Vice-Chairman, now, in the modern day, when women are getting educated and when they are also working, they are also having jobs for themselves, you will also notice that in such families or in such cases these problems are not as serious or as accentuated as they are in more traditional families where women are not employed or where they do not have any source of income. Most of the cases that have come before us are basically from traditional families, from backward areas, from backward regions, where women have not had the scope or chance to get educated to earn themselves. Neither have they been allowed to have any possessions of their own by way of land or by way of buildings or anything else either from the parent's side or from the husband's side. So, technically, what has been given, as far as the Succession Act is concerned, in practical terms, does not work. Therefore, Mr. Vice-Chairman, I think, if we are really interested in bettering the lot of our womenfolk, we must also give them these rights. I think, one of the reasons why this has not been done, could be also that the representation of women has not been substantial in our legislative bodies. I am not saying that men do not care for the rights of women or that they are not bothered about them, but, *once* women themselves are there, naturally, they would focus on them, put pressure on their colleagues and impress upon them and on the respective governments to bring about these changes. We have given reservations for women in Panchayats and other local bodies. I think, we should also

think of giving a certain amount of reservation to women in Assemblies and in Parliament also. Why not in Assemblies and in Parliament also? After all, they must also have sense of participation in the policy-making bodies of the States and of the Centre. You can provide this only if you give them an opportunity or chance to come and sit in these Houses and to air their views and their feelings to bring about changes not on,ly in matters of property but to many other avenues, for which, I think, they would be much more cornretent since they themselves have been experiencing all this. We have start some women representatives who have participated in several liberation movements. They are well-versed with minute problems from different angles. I think our Legislatures and Parliament should not be deprived of their experience and all the work that they have done in these fields. So, Mr. Vice-Chairman, the House must be happy that Shrimati Veena Verma has focussed this issue by bringing in this Private Member's Bill for discussion in this House. I do hope that the Government will take note of all the points raised during the discussion. I think the House will set up a Joint Parliamentary Committee to look into various aspects in regard to this and improve upon the suggestions that have been made over here and sea that women. whether they are married or widowad, have a certain amount of say in the daily activity of life and a certain amount of control also.

Now, take the case of widows. Widows are given only half the pension when the Husband dies. This has it- avderse effect when the widows are not working. Because of that, their economic condition deteriorates. I think the widow should get full pension, which the husband was getting. That is a matter which should be given -serious consideration. But. still I feel that the basic pro-blem lies with the property rights. Once you given her the right in her husband's property, most of the problems like dowry deaths of married women will be solved and they will get a certain amount of respectability. For centuries they have been at the receiving end, Therefore, Mr. Vice-Chairman, I would appeal to the Law Minister, the Home Minister and the Government to take this very seriously and come with a comprehensive legislation after taking a serious look at the Bill that has been introduced by Veena Ji. Thank you for giving me an opportunity to express my views on (he subject.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, विधेयक की चर्चा के प्रारम्भ में अब तक सी०पी०आई० सी०पी०एम० और जनता दल का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है, जबकि अन्य मसलों पर वह सदन को चलने नहीं देते और यह इतना महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामला है। मेरा अनुरोध है कि इसको दर्ज कर लिया जाये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OR LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): Mr. Vice-Chiarman, Sir, I express my gratitude to all the hon. Members, who have participated in the debate. I have carefully noted the points made by all the hon. Members. I must also congratulate Shrimati Veena Verma, who has worked very hard. In her speech she has made several points, which have been appreciated by the hon. Members of this House.

The question of emancipation of women is under debate throughout the world. This question of providing equal rights to woman vis-a-vis man is a very important one- Nobody can dispute this and there can be no controversy on this point. Our founding-fa'hers have recognised the equality of all citizens, including women. We have allowed protective discrimination under article 15(3) and laws can be made in favour of women also. But the fact remains that whenever a social change is required,

a very forceful movement is required in this direction. Movements have come, succeeded and changes have come. Ours is a multi-ethnic society. There are diverse customs. There are various types of cultures in the country. Our system has been governed according to their laws. One of the hon. Members mentioned before the 1950's that when Baba Saheb Ambedkar brought the Constitution, he brought equally for women. Then there was a part of the Hindu Code Bill. A strong opposition to it within the country was there. As that time, our beloved leader Pandit Jawaharlal Nf(iru had to work very hard. He became a crusader for the rights of women. In most trying and difficult circumstances, political 'circumstances, he. had successfully brought changes in the civil laws of Hindus. We have the Hindu Marriage Act, the Hindu Maintenance Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Adoption Act. All these ate a part of the Hindu Code Bill. They govern the rights of a Hindu man and woman. So, this was a change which came in the way.

Recently, our hon. Shri Rameshwar Thakurji, after a long controvery and a long debate has brought forward tha Seventy-third Constitutional (Amendment) which contained wide-ranging reforms. For the first time, we have used laws for protective discrimination in favour of women by reserving 20 per cent seats in the local bodies. So, India is seeking a perceptible change in the: attitude of man. I arm happy that all the hon. Members who have spoken from both sides are unanimous that sooner we recognise the fact that women are entitled to equality In all spheres, the better it would be and we should take it up in the country's interest. We are all cognizant of one thing that women deserve a much better deal in future. So far whatever has been given is not suffi-cient. They should he given a better deal. We should all consider ways and means by which we can bring them *equal* *ta* men at a particular time. I am not one of those who blame anybody Sithis because harmony is the way of life Harmony comes from the mental attitude of a man and a woman. If a man surrenders in favour of a woman, then, ha does it so for his own harmony. He gets benefited by that harmony. Then, his life would be peaceful, calm and quiet. He enjoys his life. Those who are rigid and do not give that type of harmony in the family or in their own life suffer from most *of* the social evils like dowry deaths, burning of women, dispute over matrimonial matters because of narow-minidedness and petty-mindedness of the people belonging to tine society. This is where we need crusaders. Those who have fought for the rights of women, for the liberation of women, their instances are not lacking. We need a mental attitude first ta see that we agree to what Shrimati Veena Verma says should be implemented in totality. There could be no disagreement of this Bill. Actually, when i glance 'through this Bill, I find that no civilised man can disagree with this Ei'»l because the provisions are such that when a woman is living with her father, he is duty-bound as a father or a gardian to protect that woman's interest and so on. And this Bill is about the married woman and her rights. Can anybody deny that she shall have a right to live in the house of her husband, whether owned by him or by his joint family. without seeking judicial separation or divorce f cm her husband? I do not think anybody will dispute it. But in reality, it is not so because today what you see is, most of the familier are suffering because of the lack of the attitude that she is a woman who has married a man and the man must see to it that she lives comfortably. But it is the mental attitude which does not allow this. When a man feels that his own wife should not live peacefully with him. what more norrow-mindedness can be there? It is a serious problem we must have to cure. Therefore, I entirely agree that we must give our serious thought to this problem. We should educate our

society. We should bring about changes in our attitude through education, through our concern, the concer of this august House in favour of women. There should be an atmosphere of that kind where she can live peacefully. Actually, what is a marriage meant to be? A marriage is meant to be a meeting of minds, a meeting of the souls of the man and the woman concerned, where they agree to share equally whatever sorrow or joys they get in their life. That is what we are taught. But the fact is that our social attitudes differ and therefore, problems arise. ***(Interruption).***

Then, if the first demand is accepted, there is no question of going to the second one for a right that she shall, without seeking judicial separation, be entitled to have food, clothing and shelter. What I am submitting is that we should see to it that the second problem does not arise. There should be no separation at all. There should be absolutely no disharmony. And food, clothing and shelter should be her right enshrined in the very fact that she is married to this man. She should be entitled by the very basic fact of her marriage to that man or the family. The husband and the family concerned should be charged with the responsibility that he or, in his absence, his family shall have to ensure all these things to her. She will be entitled to an equal share in the property. This is one of the things we must ponder over. The debate has to be carried countrywide. Some States have done some work on this and some are likely to do this. We want to have a comprehensive sort of law on what right we can give to an unmarried woman, what right we can give to a married woman and what right should devolve on a divorced woman or a married woman who has become a widow. Unfortunately, a woman has to undergo several stages under several circumstances. Each of them will have to be taken care of.

The problem is actually in our basic atiitud-: In same part of our country, in some families, people do not like girls being born in the family at all. This approach has to be removed. When a girl is born, they do not feel so happy as they would when a boy is born. Fortunately, with the passage of time, this attitude is vanishing. I am very happy about it. Now, we give the same attention to a boy and a girl so far as education is concerned. And this message must be carried across the country. When a child is born, the dignity of the child and the]ove for the child should be equal, whether it, is a boy or a giri. That message Should be carried througrout the country. Then, from there onwards, the attitude will change when it comes to the question of education. If you educate your daughter in the same way as you educate your son and give the same attention to your daugher as you give your son, I do not think the woman will remain backward. What happens is, in most of the rural areas, in most of the areas, they do not give that attention to the education of girls and that is where they miss the opportunity. Wherever they have become educated... they have come up better than men. Their performance is better than men. Their attitude to life is much more serious than men. Therefore, our attitude for the education of our children, particularly the girls, should be much more positive than in the case of boys because they face more challenges. They do not stay at their homes. They have to leave their homes. This is the ma-nifestation of being a woman that she has to leave and live with her husband. Therefore, she has to be provided more security even at her father's home. Our culture is not that bad as some people have tried to depict it. Our ancient culture says: "God lives there where woman is worshipped." This is a translation of the Sanskrit sloka that where woman is respected, God lives there only. Therefore, our culture preaches like this. But it is due to a change in our attitude that these things have crept into our society and if somebody says:

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी"

But, at the same time, Jai Shankar Prasad has said:

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो"

It you read Kamayani, you will find what our culture says.

"विश्वास रजत नग पद तल में"

All these things are mentioned in our Epics. Some hon. Member referred to the Ramayana. But that what Ra-vana said. But it was not Tulsidas who supported the theory of beating woman. It was Raivana who was considered to be : evil. *(Interruptions)*

AN HON'BLE MEMBER: But he was the wisest man.

SHRI H. R. BHARDWAJ : 1 do not say so. Your own colleague was saying this. So, what I am submitting is that in our culture, women are worshipped and we would consider all these points which the hon. Member have raised and I assure this House that we will go into all these things immediately. I will consti tute a Committee to go into the pro blem and we will see how soon we can make laws to give equality to woman in the matter of property, in the matter of looking after her children, her access to her children, since all been conveyed properly and we will sit together and discuss this-problem so that a better deal is given to them. Thank-you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shrimati Veena Vedma. *(Interruptions)*

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI (West Bengal): Sir, it will be better if the Minister gives an assurance as to by what time it will be done. (Interrup-*tions)* What is wrons in it? Sir, would the Minister like to reply?

THE VICE-CHATRMAN (SHRI SU-RESH PACHOURI): I have called Shrimati Veena Verma,

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: The Minister should give an assurance at least.

श्रीमती वीणा वर्मा : (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन और स्वयं आपकी बहुत आभारी हूं कि आज मेरे इस प्राइवेट मैम्बर, बिल, विवाहिता महिला अधिकार संरक्षण विधेयक 1994, जिस पर चार हफ्तों से बहस जारी थी जिसमें 23 वक्ताओं ने इसमें भाग लिया और काफी वक्ताओं ने अपने विचार खुले मन से यहां व्यक्त किए, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करती हूं। यह विधेयक 12 अगस्त, 1994 से शुरू हुआ था और आज हमारे कानून मंत्री जी ने इसका जवाब दिया, मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूं। यह ऐतिहासिक दिन ही कहा जायेगा कि पिछले शुक्रवार को भी हमने महिलाओं के विषय में एक प्रस्ताव पास किया। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों पर एक प्रस्ताव सर्व-सम्मति से इस सदन ने पास किया और यह सदन देश का सर्वोच्च सदन है। यहां पर जो निर्णय लिए जाते हैं, वे देश के नीति-निर्धारण में और देश की विचारधारा बदलने में सहायक होते हैं। तो मैं आज यह समझती हूं कि मेरे इस विधेयक के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं में तथा समाज में एक विचाराधारा का उदय अवश्य होगा कि महिलाओं को, जो कि उनकी स्थिति हैं—चाहे वह घर में हों..........

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We started the discussion on this Bill at 2.45. May I take the sense of the House on whether the mover should be allowed to continue her speech on this Bill?

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Yes, she should be allowed. Sir, it is a very good idea from the Chair and we appreciate it. As she has taken the floor, she should complete it today.

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अतिरिक्त समय दिया। आज इस विधेयक के माध्यम से हमारे वक्ताओं ने यह कहा कि सामान्य रूप से इस

विधेयक का हम समर्थन करते हैं। अधिकतर वक्ताओं ने यह कहा लेकिन यह भी बताया, और मैं इस बात को स्वयं भी समझती हूं, कि इसमें काफी कमियां हैं। जो कानूनी रूप से कमियों की तरफ ध्यान दिलाया गया, उनको भी मैं स्वीकार करती हूं और इसको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी समाज जिसमें नर-नारी की समानता न हो, वह समाज या राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। हम 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में कदम रखने ही वाले हैं। कुछ ही वर्ष बाकी हैं लेकिन आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बहुत बड़े स्तर पर जारी है। वैसे तो हमारी संस्कृति, अभी मंत्री जी ने कहा मैं भी हमारी संस्कृति, प्राचीन सस्कृति जो हजारों वर्ष से चल रही है, इसकी समर्थक हूं, मैं स्वयं पुरजोर इसकी हिमायत करती हूं। हमारी संस्कृति जो हजारों वर्ष से चल रही है और परिवार जिसमें एक इकाई के रूप में माना जाता है—चाहे वह संयुक्त परिवार हो या छोटा परिवार हो—उसको हमें बरकरार रखना है लेकिन परिवार जो पहले संयुक्त रूप में हुआ करते थे और आज जब हम वर्तमान में देखते हैं तो चाहे वह सामाजिक कारणों से हों या आर्थिक कारणों से हों हम छोटे परिवारों की तरफ बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है वह संयुक्त परिवार समाज में टूट रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि नयी परिभाषा नये कानून बनाएं जाए।

SHR; M. A. BABY (Kerala). Madam, may I have a clarification front the Chair? Since she is raising a very impro-lant issue, we also are equally interested in ii However, there are many other important issues which have been relegated to a later time due to the necessity of taking up the Private Members' business. Those are Zero Hour issues. May (have some idea by when we are going to take up those issues? For how long will her speech continue so that we can work out accord-, ingly?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : I have already taken the sense of the House and the Mover would be allowed to finish her speech on the Bill. I have already taken the sens? of the House.

SHRI M. A. BABY: Roughly how much time will the take?

THE. VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): At the same time, I also requested her to complete it as early as possible.

SHRI M A. BABY: Even after 5.00 P.M.?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Yes.

SHRI GOVIND RAM MIRI : What about the Special Mentions, Sir?

श्री विष्णु कांत शास्त्री : : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो शुन्य काल के विषय थे, क्या उन्हें उठाने की आप अनुमति देंगे ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I will take the sense of the House after she finishes her speech.

SHRI M. A- BABY: That means, *up* till 5.15 she will continue... *(Interruptions)* . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I will take the sense of the House at that time. Mrs. Verma, please continue.

श्रीमती वीणा वर्मा : : आधुनिक समाज में बढ़ती हुई हिंसा को यदि हम देखें तो चारों तरफ हम हर समय और हर समाज में, चाहे वह सदन हो या बाहर, चिन्ता करते हैं कि पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है और अभी कुछ दिन पहले चाइल्ड ऐंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट आयी थी। उसमें भी माना गया है कि पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है और उसको खत्म करने के लिए हमें महिलाओं को खासकर पत्नियों को आर्थिक रूप से सबल बनाना होगा। सबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पति की सम्पत्ति में उसको अधिकार दिया जाए। गांधी जी ने भी कहा-स्त्रियां समाज में गुलामी की तरह जीवन जी रही हैं। उनको यह पता नहीं होता कि वह गुलामी का जीवन जी रही हैं। स्त्रियां समाज में आधी आबादी का एक हिस्सा है

[श्रीमती वीणा वर्मा]

लेकिन यदि हम उसके अधिकारों की तरफ ध्यान न दें तो आधी आबादी उपेक्षित, शोषित और प्रताड़ित रह जायेगी। मंत्री जी को इस पर ध्यान देना होगा। न्यायमूर्ति रानाडे ने भी कहा कि सम्पति में अधिकार देकर हम समानता स्थापित कर सकते हैं। डा० लोहिया जो समाजवादी और सुधारक थे तथा बड़े चिंतक भी थे, उन्होंने कहा कि औरतों के दो ही गृह हैं—प्रसूति और रसोईघर। बहुत जरुरी है कि हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दें, नारी की स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दें, आधुनिक समाज में बहुत जरुरी हो गया है। देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली में नये संविधान का निर्माण हुआ है जिसमें महिलाओं को मानवीय अधिकार है या मौलिक अधिकार है। यह पिछले दो सौ वर्षों से विचारधारा शुरू हुई है। उसमें राजाराम मोहन राय, गंगाधर तिलक, विवेकानन्द, नेहरूजी, महात्मा गांधी और सबसे प्रिय हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयत्न बराबर रहे हैं। इन्दिरा गांधी हो, कस्तूरबा गांधी हों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने लिया, सरोजनी नायडू हो, अरूणा आसफअली हो, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने देश की आजादी में कंधे से कंधा मिलाकर देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है और आधुनिक समाज में महिलाएं बराबर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में अपनी भागेदारी दे रही हैं तो क्या हमारा परिवार जो एक ईकाई है उसमें समानता की बात न उठाई जाए यह मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगी। इसी कारण इस बिल को लाने का मेरा उद्देश्य था। देखा गया है कि हजारों वर्षों से औरत अर्धांगिनी या गृहस्वामिनी, इक्विल पार्टनर, सौभाग्यवती हम कहते आये हैं। सारा सदन जानता है कि इक्विल पार्टनर का क्या मतलब होता है। छोटा सा भी अगर कोई व्यापार शुरू किया जाता है उसमें एक-एक हजार रुपये लगें, या दो-दो हजार रुपये लगे जब उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है तो अपना-अपना हिस्सा ले कर पार्टनर चले जाते हैं लेकिन यहां पत्नी एक ऐसा पार्टनर है जिसका कोई हिस्सा नहीं है लेकिन कहलाती है अर्धांगिनी, कहलाती है इक्विल पार्टनर। पी सक्सैशन एक्ट 1956 पास हुआ था जिसमें औरत को बेटी के रूप में पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिया गया। उत्तराधिकार कानून पास हुआ। यह स्वागत-योग्य है। लेकिन एक औरत के तीन स्टेटस होते हैं। जिस घर में वह जन्म लेती है उस घर में वह बेटी कहलाती है। शादी के बाद पति के घर में वह पत्नी कहलाती है और यदि पति न रहे तो वह बेटे की मां कहलाती है। इन तीनों स्टेटस को अगर देखें तो शुरु से ही औरत को संरक्षण में रखने की हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में परम्परा रही है। यह बहुत अच्छी परम्परा है। लेकिन हमने कितनी मजबूती से उस बेटी को उन घरों में दी है? पिता के घर में बेटी को दूसरे बच्चों के बराबर सम्पत्ति का अधिकार दिया है, जितने भी उसके भाई हैं उनके बराबर का अधिकार इस बेटी को भी दिया गया है लेकिन पति के घर में पत्नी को हमने कोई अधिकार न देकर एक बहुत बड़ी, मैं तो यह कहूंगी संविधान ने, कमी रख दी है। या कहिए संविधान की कमी है। तो यह बड़ा अन्याय है। उस घर में औरत को हम अधिकार देते हैं, जिस घर में वह जन्म लेती है कि 18 वर्ष तक जब तक वह शादी के काबिल नहीं होती, मैरेजबल एक्ट, 18 वर्ष तक वह उस घर में रह सकती है। उस घर में रहने का संविधान ने उस औरत को अधिकार दिया है, सक्सेशन के रूप में अधिकार दिया है। लेकिन वह अधिकार भी वह कहां तक ले पाती है यह भी एक प्रश्न ही है। उसका सम्पत्ति में हिस्सा कराने का भी अधिकार नहीं मिला है, या इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाया है। औरत शादी के बाद, शादी एक पवित्र बंधन है लेकिन साथ ही यह एक कानूनी बंधन भी है। कानून उसको पति के घर में रहने की इजाजत देता है। पति स्वयं उसका हाथ पकड़ कर घर में लाता है और कहता है कि यह मेरा घर है, तुम इसमें रहो। मैं तुमको खाना, कपड़ा और छत दूंगा। लेकिन इसके पीछे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता कि मैं सारी जिंदगी यह दूंगा। यदि वह निकाल दे तो वह कहां जाएगी, ऐसा सोचकर उसको अपनी सुरक्षा का कोई एहसास नहीं होता कि कब तक निकाल दी जाए। पति उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे और दरवाजा बंद कर दे तो उसको कोई पता नहीं

कि उसे घर में वह रह सकती है या नहीं और रह सकती है तो कब तक रह पाएगी। वह पति को परमेश्वर मानती है। जब तक पति उससे खुश है तब तक वह उसमें रह सकती है, अगर खुश नहीं है तो पता नहीं कब वह उसको निकाल दे। पति के घर में उसके अन्दर एक असुरक्षा की भावना रहती है। पति का घर, जो कि परमेश्वर का घर, एक मंदिर कहलाता है उस घर में वह सौभाग्यवती पत्नी है लेकिन वहां उसको रहने का भी अधिकार नहीं है, सम्पत्ति का अधिकार तो बहुत पीछे की बात है। अभी हमने तलाक का कानून पास किया है। पहले औरत डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। ज्वाइंट फेमिली और पवित्र बंधन के कारण औरत तलाक नहीं ले सकती थी। लेकिन जब तलाक का कानून बन गया तो फिर औरत को उस घर से सम्पत्ति को ले जाने या सम्पत्ति के बंटवारे का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? वह उस घर में त्याग करती है, अपनी जवानी देती है, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देती है। वहां उसको सिर्फ त्याग ही त्याग करना पड़ता है। तीसरी अवस्था उसके विधवा होने पर है। अपने पति की चल और अचल संपत्ति में विधवा होने पर बच्चों से बराबर का बंटवारा हो जाता है। एक औरत अगर यह सोचे कि उसको कोई काम करना है तो वह सौभाग्यवती औरत जो कि 70 से 80 साल की है सोचे की मुझ कुछ सम्पत्ति लेनी है, अपना भविष्य बनाने के लिए वह कोई उद्योग शुरु करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है तो अगर पति तैयार नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिल सकता है। 60 साल उस पर घर में रहने के बाद क्या वह औरत जो पत्नी है वह वापिस अपने पिता के घर में जाए और अपने पिता से कहे कि मैं यहां की बेटी हूं, मुझ प्रापर्टी का अधिकार है, मैं उसको डिवाइड करवाकर लेना चाहती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे तो अभी इस पर बहुत कुछ कहना था। ऐसा है कि मुझे अपनी बात कहनी है और एक नयी विचार धारा मैं देना चाहती हूं और इसको मैं राष्ट्रीय बहस के रूप में उठाना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि इसमें कमियां हैं और मैंने उसको स्वीकार किया है लेकिन मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं उपसभाध्यक्ष महोदय से चाहूंगी कि आप मुझे इस पर बोलने की अनुमति दें।

श्री सैयद सिब्ते रजी : यह बहुत संवेदनशील विषय है। मैं आपसे कहना चाहता हू कि आप 10–15 मिनट का समय इन्हें और दे दीजिए।

We can give her 10 or 15 minutes more. We can sit for some time more.

वैसे भी 6 बजे तक बैठने का निर्णय सदन ले चुका है। यह अन्याय होगा यदि इन्हें पूरी बात कहने का मौका न दिया जाए। इनको 10–15 मिनट और मिलने चाहिए।

'-"HE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): 1 have already taken the sense of the House. The sense of the House was that we would complete this discussion today it self. Now, I request her to conclude as early as possible.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं लूंगा। पिछले शुक्रवार को महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित संकल्प पारित किया था। सम्पत्ति में महिलाओं का अधिकार न होना, यह भी उत्पीड़न का एक कारण है। या तो मंत्रीजी आश्वासन दे दें, केवल इसमें एक पार्ट है जो इनके भाग दो का तीसरा है (**व्यवधान**) और इस विधयक को भी पारित कर दें।

सैयद सिब्ते रजी : गौतम जी व्यवधान कर कर रहे हैं। इनको बोलने का अधिकार नहीं है। मूवर रिप्लाई कर रहा है। (**व्यवधान**)

سید سبط رضی: گوتم جی ویدھان کر رہے ہیں۔
ان کو بولنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ موور ریپلائی
کر رہا ہے... مداخلت...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : गौतम जी, आप अपनी बात बोलिये।

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं यह कह रहा हूं कि 13 जीरो आवर मेंशंस हैं और 17 स्पेशल मेंशंस हैं अर्थात् 30 बोलने वाले है । अगर हम रात के दो बजे तक बैठने की तैयारी में हों, क्योंकि झगड़ा होगा, तब तो आप इनको बोलने दीजिये । टाडा वाला मामला एक घंटा ले गया था, इसलिए 13 जीरो आवर मेंशंस में दो घंटे तो लगेंगे । जितने सदस्य हैं, अगर सब यह संकल्प ले कि हम सब बैठेंगे. कोई सदस्य जाएगा नहीं तो इन्हें आप बोलने दीजिये । **(व्यवधान)** और सदन को रात्रि तक चलाइए ।

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि हमारा भारतीय संविधान एक औरत को ऐसे घर में अधिकार देता है, चाहे वह उत्तराधिकार कानून के द्वारा हो, ऐसे घर में अधिकार देता है, जिसमें वह सिर्फ अपने अधिकार से 18 वर्ष रहने का अधिकार रखती है, वह है पिता का घर । औरत की सब से बड़ी साध उसके सुहागिन रहने में है शादी के बाद, उस पर घर में औरत का अधिकार क्या है? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी । म यह जानना चाहूंगी कि उस घर में संविधान उसको अधिकार क्यों नहीं देता, उस घर में जो परमेश्वर का है, जो कानूनी है और जहां सप्तपदी पढ कर वह कानून के द्वारा उस घर में लाई गई है? तीसरा औरत की अवस्था है यदि विधवा हो जाए, सुहागिन रहने में उसकी सब से बड़ी साध है, क्योंकि औरत बहुत से व्रत रखती हैं, हजारों कुर्बानियां करती है सुहागिन रहने के लिए । औरत का भाग्य कहां है, औरत का सुहाग जहां है वहां पर उसको अधिकार क्यों नहीं है? जिस घर में मरने तक रहेगी, लाश उठाने तक रहेगी, उस घर में संविधान ने अधिकार क्यों नहीं दिया है ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है । मेरी यह कल्पना है कि उस घर में औरत को सब से ज्यादा मजबूत बनाया जाए । वह मजबूती आर्थिक रूप से उसको बराबरी का अधिकार दे कर ही दी जा सकती है । यदि वह पति के घर से निकाल दी जाए तो कहां जाए ? क्या पिता के घर वापिस जाए जहां पर फिर से उसका बहुत स्वागत नही किया जाएगा । वहां पर दासी बन कर नौकरानी बन कर क्या वह रह पाएगी ? वह जब विधवा हो जाए तो वह अपने बेटे के घर में रहती है और उसकी बेटे की, बच्चो की कोपासनरी पति की सम्पत्ति में हो जाती है । वहां पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि यदि उसके पति ने विल न किया हो या विल कर के पत्नी को सम्पत्ति से महरूम कर दिया हो तो फिर उसको वहां पर सम्पत्ति नहीं मिलेगी । अगर विल नहीं की हो तो बच्चों के साथ वह कोपासनरी होती है । वह इक्विल पार्टनर पति की थी लेकिन जब पार्टनर चला गया तब उसको हिस्सा मिल सकता है जिसमें वह बराबर हिस्सेदार बना दी गई अपने बच्चो के साथ । यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब औरत सोचे कि प्रोपर्टी कैसे ले, कहां ले, कब ले ? क्या बेटी के रूप में 90 साल की सौभाग्यवती बुढ़िया अपने पिता के घर में फिर वापिस मांगने जाए । पति के घर में कोई अधिकार नहीं है । विधवा रूप में स्त्री को अब भारतीय संविधान ने अपने नये उत्तराधिकार कानून द्वारा अधिकार दे दिया है । तो फिर सवाल यह है कि क्या विधवा होने की कल्पना करे यदि औरत सम्पत्ति चाहे तो । पिता की सम्पत्ति चाहे तो कैसे ले? तलाक होने पर औरत सम्पति कैसे ले ? हमने तलाक कानून पास कर दिया है । आजकल औरत कितना अत्याचार सहती है लेकिन तलाक नहीं लेती । यही कारण है कि 4, 5, 6 साल की मेहनत के बाद, कोर्टशिप के बाद जब तलाक मिलता है तो उसको तलाक के नाम पर एक कागज का टुकडा मिलता है और तलाक के बाद औरत को यदि गुजारा भत्ता भी कोर्ट से स्वीकृत होता है तो 500 रूपए से ज्यादा नहीं मिलता है । 500 रूपए में तो आज एक नौकर भी नहीं आता है सवाल यह है कि औरत शादी के पवित्र बंधन से बंधकर उस मंदिर में आई थी । उस मंदिर में आई थी जहां उसकी स्वीकृति नहीं थी आने की । उस औरत को इतनी स्वतंत्रता भी उसके माता पिता या समाज ने नहीं दी थी कि वह कब शादी करे, अपना कौन-सा जीवनसाथी चुने उस घर में वह आई थी और वहां उसको सब कुछ त्याग करना था, कुछ मांगना नहीं था । कुछ मांगने के लिए

है ही नहीं । तो फिर सवाल यह है कि औरत सम्पत्ति कैसे ले । अपने आपको उन अत्याचारों से जो कि परिवार में हो रहे है, पति के द्वारा हो रहे हैं उससे कैसे अपने आपको बचाए ? इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस बिल पर आप विचार करें और देखें कि किस तरह से औरत को पति के घर में महल बनाया जा सके ।

अब बात उठती है स्त्रीधन की । लेकिन क्या 30-40 वर्ष में औरत का वह स्त्रीधन उस घर में मर-खप नहीं जाएगा, क्या खत्म नहीं हो जाएगा ? कहां से वह उसको बचाकर रखेगी अपनी सुरक्षा के लिए या सामयिक आड़े वक्त के लिए ? इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस बिल पर आप विचार करें । यदि औरत का श्रम भी घर में देखा जाए तो उसका त्याग, तपस्या, सब व्रत उसी पारिवारिक इकाई के लिए है, कभी नहीं टूटने के लिए है । आप देखें कि रसोई का सारा काम औरत करती है । औरत घर का जितना काम करती है उसके लिए हमको तीन नौकर रखने पड़ते है । एक सर्वे के अनुसार दस वर्ष तक की उम्र तक लड़की जितना घर में काम करती है उसका मूल्य यदि हम किसी तरह से लगाएं तो 40,000/-रुपए से ज्यादा बनता है । भारतीय स्त्री जो हाउस वाइफ कहलाती है औसतन 304 दिन या 8.33 वर्ष अपनी रसोई में बिताती है । औरत की 50 वर्ष की और आयु में 16.66 परसेंट वह रसोई में गुजार देती है । इससे पहले, खाना बनाने से पहले का काम और बाद का काम इसमें गिना ही नहीं गया है । इसके अनुसार भी यदि हम देखें, औरत के श्रम को अगर हम गिने तो भी उस अधिकार की वह मालकिन बन सकती है, बननी चाहिए । मुझे और बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय बार-बार घंटी बजा रहे है इसलिए अंत में . . . .

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir we have raised some important points. The hon. Member has to respond to them, she can respond to our queries,

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे, प्रश्न पूछे थे उनका में जवाब नहीं दे पा रही हूं । आप अगर अनुमति दें तो में एक-एक सदस्य के बिंदुओं का जवाब दूं ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : अगली बार । ये एक कम्प्रीहेंसिव बिल ला रहे है ।

SHRI T. VENKATRAM REDDY (Andhra Pradesh): Sir, tomorrow is our New Year Day and most of us have to catch the late evening flight to go to our place.. -*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I have already taken the sense of the House- -*(.Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): I have been waiting for my Special mention since the last one week. :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : वीणा बहिन केवल मुद्दे की बात कह दें । उसमें आवरण न चढ़ाएं तो अच्छा होगा ।

SHRI .9.. VIDUTHALAI VIRUMBI: Every day in the evening the Chair... takes the sense of the House. If you take the sense of the House, they will ask you to adjourn the House-This is what is happening during this week.

SHRI M. A. BABY: Today we are not adjourning the House.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Today we should continue the House till the Zero Hour Mentions arid the Special Mentions are over.

श्री ओ० पी० कोहली : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में तो सारे का सारा हाउस सहमत है, इसमें बहस की कोई खास बात ही नहीं है । सारा हाउस सहमत है ।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए, वीणा वर्मा जी ।... (व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, इतने गंभीर विषय पर मैं चाहती थी कि एक-एक गंभीर मुद्दे पर मैं रिप्लायी करती या मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती लेकिन जैसा सदन .... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mrs. Veena Verma, you have already taken 31 minutes. I request you to wind up your speech as soon as possible.

श्रीमती वीणा वर्मा : जी । मैं सिर्फ यह कहूंगी कि औरत के स्वाभिमान के लिए, औरत को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि पति की संपत्ति में पत्नी को शादी के दिन से आधा अधिकार चल-अचल संपत्ति में उसका स्वीकार किया जाए, क्योंकि औरत भी अपने स्वाभिमान से कह सके कि उसका भी पति, यदि पुरुष अपने स्वाभिमान से कह सकता है कि उसका अर्जित कुछ है तो औरत का भी कुछ अर्जित हो, ऐसा बहुत जरूरी है और औरत के पास तो कोई अर्जित प्रापर्टी नहीं होती । वैसे मैं यह चाहूंगी कि मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में दिनांक 10-12-91 को अनस्टार्ड में कहा था, यही उसी पर मैंने प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा सरकार के पास कोई प्रोपोजल नहीं है जिसमें कि पति की संपत्ति में उसके जीते जी पत्नी के अधिकार पर विचार करे । मैं सदन के माध्यम से आज अपील करना चाहूंगी कि इस पर विचार करें और आश्वासन दें क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी ऐसे कुछ आश्वासन दिए हैं और हमारे हिन्दुस्तान के कई राज्यों में कर्नाटक को तो मैं जानती हूं, उसमें पत्नी को पूर्ण रूप से अधिकार है पति की संपत्ति में तो इस पर विचार किया जाए और जल्द ही कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति महिला सांसदों की और पुरुष सांसदों की, दोनों की आप बनाएं जिसमें महिला कमीशन की मदद लेते हुए और उसमें एन०जी०ओज० के भी सदस्य हों और पूरे राज्यों में क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत से राज्य हैं और अलग-अलग राज्यों के कानून हैं तो इस पर एक गंभीर स्टडी करवाई जाए और मंत्री जी आप उसका एक समय निर्धारित कर दें कि दो वर्ष के अंदर ऐसी हाई पावर्ड कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद सरकार गंभीरता से इस पर एक पूर्ण बिल लाए जो कि सर्वसम्मति से पास किया जाए । इसके आगे मैं यह कहूंगी कि डी०डी०ए० मकान वगैरह जो होते हैं यह रजिस्ट्री की जाती है उसमें भी और जो प्रोविडेंट फंड हो पति का, ग्रेच्युटी फंड हो उसमें भी सब जगह पत्नी का नाम जोड़ना आवश्यक बनाया जाए । अभी मांग उठी कि पत्नी को सिर्फ सम्पत्ति में ही अधिकार नहीं, आरक्षण की भी मांग करनी चाहिए । मैंने अपने एक गैर-सरकारी बिल में महिलाओं के लिए नौकरियों में लोक सभा और राज्य सभा तथा विधान सभा में भी आरक्षण की मांग की है, इस पर भी विचार किया जाए । साथ ही, औरत को बेटी के रूप में पिता के घर में, पत्नी के रूप से पति के घर में और यदि विधवा हो तो उसको बेटे के घर में या पति की संपत्ति तीनों जगह उसको अधिकार दिया जाए जिससे कि आर्थिक समानता हम ला सकें । यदि यह भी नहीं तो फिर महादेवी वर्मा के शब्दों में मैं यह कहूंगी :

"मैं नीर भरी दुख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा न कभी अपना होना
परिचय इतना, इतिहास यही
उमड़ी कल थी, मिट आज चली ।"

धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Smt. Verma, arc you withdrawing your Bill? Otherwise, I will have to put it to vote.

श्रीमती वीणा वर्मा : सर, मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है और आप स्वीकार कर चुके हैं कि जल्दी ही एक उच्च-अधिकार प्राप्त संसद सदस्यों की समिति बनाकर इस बारे में सर्वे कराया जाए। तो इस आश्वासन के साथ कि सरकार इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार कर एक संपूर्ण बिल लाए जिससे कि महिलाओं को सही रूप में आर्थिक सफलता दी जा सके और उनके सामाजिक स्टेटस सुधरे। इस पर सदन सहमत है और मैं भी इसे आश्वासन के साथ कि मंत्री जी जल्दी ही कमेटी का गठन करके इस बारे में बिल लाएंगे, मैं अपना बिल वापिस लेती हूं।

The Bill was, by leave withdrawn.

SHRI T. VENKATRAM REDDY: Sir, please adjourn the House. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No. For the last one week, we have been *(Interruptions)*

SHRI M. A. BABY: If some Members want to go, they can go.T*(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: IV anybody wants to go home, he can go. *(Interruptions).* We are not objecting If they want to go, they are at liberty to do so. They can *go. ..(Interruptions)*

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो सदस्य जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन सदन चलते रहना चाहिए।

SHRI M. A. BABY: Sir, even if I am alone in the House, I want to raise the issue for which I have been permitted by the Chair *{Interruptions):*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If want, you can speak first and go. *(Interruptions)* Mr. Vice-Chairman, Sir, if anybody wants to go home, let him.... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We have 13 speakers for the Zero Hour Mentions and 17 for the Special Mentions, *{Interruptions)*

SHRI M. A. BABY Sir, all those should be taken up. All those are important issues-(*Interruptions) it* some Members do not want to raise those issues for which they have given notice, they are at liberty to do so. I have been permitted to raise an issue during the Zero Hour and I stand by that. I want to raise it. Similarly, there are many other Members.. *{Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Vice-Chairman, Sir, some of the Members may not be here. There may be very few Members who will speak. Also, if anybody wants to go home and if he has any issue for the Zero Hour------ *{Interruptions) we* don't object.

SHRI GOVINDRAM MIRI: No. Special Mentions should be taken up [first. *{Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We have co-operated yesterday on the understanding that you will allow us today. The Appropriation Bills and the Vote-on-Account Bills were passed on the understanding that we would be allowed today.

SHRI GOVTNDRAM MIRI: Sir, the Special Mentions should be taken up first. *{Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No, no. This is breach of faith, *(Interrup-tions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI):- Please be seated. *{Interruptions)*.

SHRI M. A. BABY: I had to leave for Chandigarh. But I have-cancelled that only to raise this issue. *{Interruptions)*

श्री ओ० पी० कोहली : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले स्पेशल मेंशन ले लिए जाएं, जीरो आवर बाद में लिया जाए क्योंकि स्पेशल मेंशन में कोई झगड़ा नहीं है जबकि जीरो आवर में झगड़ा हो जाता है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, yesterday we had co-operated with them. Today, they should co-operate with us. This is not proper. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Till what time should we continue the Zero Hour and the Special Mentions? *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, the Chair itself has announced this in the Hous\

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): It was deeded that we will sit up *to 6* O'clock.

SHRI s. VIDUTHALAI VIRUMBI: We are prepared to sit even up to 12 O' clock. *(Interruptions)*

SHRI *M.* A. BABY: sir, one thing is very sure, that the House cannot be taken for a ride by some section of the House. The Chair should understand that we had co-operated with the Treasury Benches to pass five Ap-propriation Bills without any disus-sion. *(Interruptions)* We had cooperated yesterday.. -*(Interruptions)*

Can- I have your attention. Sir *(Interruptions)*

श्री जागीर सिंह "दर्द" : (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मै भी यही विनती करना चाहता हूं कि हाउस एडजॉर्न कर दिया जाए ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir. by this time the Special Mentions would have been over.. -*(Interruptions)* ...

SHRI M. A. BABY: Please take up the Zero Hour Mentions... *(Interruptions)* ....

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, don't adjourn the House. .*(Interruptions)* ...

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Sir, Mr. Baby is a very senior Member of this House. He has said that the House should not be taken for a ride. Definitely, nobody is taking the House for a ride. We agree that in the Business Advisory Committee it was decided that Special Mentions will be taken up. Now, the Chair has given a ruling that the Zero Hour Mentions will also be taken up at 5.00 P.M. The normal practice is that the Zero Hour is for a certain period. Even generally, we don't take up the Zero Hour in the afternoon session. There should be a limit for the Zero Hour. How the Zero Hour developed into a particular situation and what happened in the House today itself, everybody knows that. But, as it was deeded in the BAC, we also agree that at least UP to 6 o'clock, we should try to finish the business. Now, it is up to the hon. Members to decide how we can finish the business in half -an-hour. Sir, a few of our Members who come from Andhra Pradesh and who belong to both sides of the House have to catch their flight because their New Year Day is being celebrated tomorrow. So, we have to keep in mind the.sentiments and emotions of both sides of the House. We have not scuttled anything. We have never tried like that. But we have to keen in mind the emotions and sentiments of both the sides. Sir, you yourself decide what the very important points are in the Zero Hour Mentions in the Special Mentions and they should be taken up immediately. Still we have half-an-hour with us and we should decide the business.

THE VICECHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Okay, we shall now take up the Zero Hour Mentions

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, only one person may be allowed to speak on a particular point in the Zero Hour.

जिनका जीरो आवर है, उन सदस्यों में एक आदमी अगर बोलता है तो जल्दी खतम हो जाएगा। इसलिए जिसका पहला नाम है, उसे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, सबको बोलना है अपना अपना स्पेशल मेंशन, किसी सदस्य के साथ डिसक्रिमिनेशन न हो। चाहे 7 बजे या 8 बजे, सबको मौका मिलना चाहिए।...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्री विष्णु कान्त शास्त्री।

RE: ACTIVITIES OF HURRIYAT LEADERS

श्री विष्णुकान्त शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आपको और सारे देश को स्पष्ट ही है कि पाकिस्तान के आमंत्रण पर हुरियत कांन्फ्रेन्स के जो नेता यहां आए, उन्होंने किस प्रकार भारत के विरुद्ध विष वमन किया। यह बताया गया कि वह निजाम मुस्तफा कायम करने के लिए कश्मीर में जेहाद कर रहे हैं और यह भी कहा गया कि सारी दुनियां के मुसलमान उनका समर्थन करें। सारे मुस्लिम देशों से उन्होंने यह अपील की कि वे इस जेहाद में उनका समर्थन करें। उन्होंने कहा कि चूंकि हिन्दुस्तान में मुसलमान अत्याचारित हैं, इसलिए हिन्दुस्तानी मुसलमानों से हम अपील नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी के लिए भारत के खिलाफ हम लड़ाई करते रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह विदेश जाना चाहते हैं।

महोदय, हमें यह भी मालूम था कि अंग्रेज राजनयिकों के कुचक्र के अनुसार नेपाल में 11 से 14 अप्रैल तक वह एक सभा करने जा रहे थे पाकिस्तान के सहयोग से। यह तो खुशी की बात है कि हमारी सरकार के विरोध करने पर नेपाल ने उसको स्थगित कर दिया, लेकिन अभी हुरियत के कुछ नेता सऊदी अरबिया जा रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी कोई स्थाई नीति है इस विषय में ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस हुरियत कांन्फ्रेन्स के नेताओं ने चरार-ए-शरीफ को मुक्त करने के लिए सारे कश्मीरियों से यह अपील की है कि वह वहां मार्च करें, क्या उनको बेतहाशा अधिकार दे सकते हैं कि हिन्दुस्तान के खिलाफ वह जो चाहे बोलें सारी दुनियां के मुस्लिम देशों में और दूसरे देशों में हमारे प्रति अपमान को इस सीमा तक ले जाएं ? मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हमारी कोई स्थाई नीति है या नहीं ?

महोदय, हमने दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पास किया था कि कश्मीर के संदर्भ में एक ही बात विचार करने योग्य रह गई है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो अंश दबा रखा है वह कैसे स्वतंत्र होगा, वह कैसे स्वाधीन भारत का अविभाज्य अंग रहेगा। यही एक गंभीर समस्या बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है, हमारे दोनों सदनों ने यह बात कही है फिर कैसे इन हुरियत के नेताओं को इस तरह गैर-जिम्मेदार और देशद्रोहिता से भरी बातें कहने का अधिकार देते हैं ? मैं सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए कि इन लोगों को विदेश जाने का पुनः अवसर न दिया जाए क्योंकि एक बार वह विदेश गए और उन्होंने केवल भारत विरोधी नीतियां कीं। मुझे बताया गया है कि सऊदी अरब से इन्होंने बहुत अर्थ-सहायता ली है, मैं जानना चाहता हूं कि उस अर्थ-राशि का क्या हुआ ? जो लोग भारतवर्ष को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, उनसे बात न की जाए, यह फारुख अब्दुल्ला ने भी कहा है। फारुख अब्दुल्ला के इस विचार पर भी हमको अपनी प्रसन्नता और सहमति प्रकट करनी चाहिए और हुरियत कांफ्रेंस के उन नेताओं को बिल्कुल कोई ऐसा अधिकार नहीं देना